[2022] 13 एस. सी. आर 660

भारतीय तेल निगम सीमित

वी.

एनसीसी लिमिटेड

(2022 की सिविल अपील संख्या 341)

20 जुलाई, 2022

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 11 (6) , 11 (6 - ए), 16-यू/एस की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय। 11 (6) नियुक्त किया गया

संबंधित अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले पक्षों के बीच विवादों का निर्णय लेने और उन्हें हल करने के लिए मध्यस्थ-की शुद्धता-आयोजितः दावों की 'सहमति और संतुष्टि' का मुद्दा गंभीर रूप से विवादित है और बहस योग्य है-क्या, की स्वीकृति को देखते हुए

दावों की संतुष्टि या जहां कोई गंभीर विवाद है, उसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ना होगा-हालांकि, उसी समय, उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि सम्मिलन के बाद एस में उप-धारा (6-ए)। 11 याचिका में न्यायालय द्वारा जांच का दायरा केवल यह पता लगाने तक सीमित है कि क्या यह बाध्यकारी है या नहीं।

मध्यस्थता समझौता इससे पहले के पक्षों के लिए मौजूद है, जो है

हाथ में विवादों से संबंधित सहमत नहीं है-हालांकि, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र और गैर-मध्यस्थता के प्रश्न सहित विवादों को तय करने का अधिकार क्षेत्र और अधिकार हो सकता है, लेकिन न्यायालय द्वारा निर्णय लेने के स्तर पर भी इस पर विचार किया जा सकता है। 11 आवेदन, यदि तथ्य बहुत स्पष्ट और स्पष्ट हैं और पक्षों के बीच बाध्यकारी समझौते के विशिष्ट खंडों को ध्यान में रखते हुए, क्या विवाद गैर-मध्यस्थ है और/या यह निर्णय लेने के चरण में भी अपवाद खंड के भीतर आता है। 11 आवेदन,

न्यायालय प्रथम दृष्टया दावों के 'समझौते और संतुष्टि' के संबंध में भी पहलू पर विचार कर सकता है-सिविल अपील No.341/2022 में, मध्यस्थ पहले ऐसे दावों के संबंध में विवादों के 'समझौते और संतुष्टि' और मध्यस्थता के संबंध में पहलू पर निर्णय करेगा। एस. 16 जो कथित रूप से लंबित है-मध्यस्थ पहले मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र और दावों की मध्यस्थता का निर्णय करेगा सिविल अपील में, पक्षकारों के बीच विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने और मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया गया है-इसी तरह, सिविल अपील में, विवादित निर्णय और आदेशों को दरकिनार कर दिया गया है-इसके अलावा, सिविल अपील में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को संशोधित किया गया है-प्रतिवादी का केवल एक दावा जिसे महाप्रबंधक द्वारा अधिसूचित दावे के रूप में घोषित किया जाता है, उसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना होगा और मध्यस्थ केवल यही निर्णय करेगा।

न्यायाधिकरण के पास किसी अन्य मामले में निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

ऐसे दावे जिन्हें अधिसूचित दावे के रूप में घोषित नहीं किया गया है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 याचिकाकर्ता आईओसीएल की ओर से यह मामला है कि आईओसीएल ने प्रतिवादी एनसीसीएल के दावे का निपटारा किया था -

एन. सी. सी. एल. के समय बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए; कुल अनुबंध मूल्य के 4 प्रतिशत से अधिक मूल्य समायोजन नहीं करने के लिए और इसके परिणामस्वरूप आई. ओ. सी. एल. ने 1493 दिनों की देरी को माफ कर दिया और बिना कोई मूल्य छूट लागू किए समय बढ़ाने की मंजूरी दे दी। इसके अलावा 65 दिनों की देरी के लिए आई. ओ. सी. एल. ने रुपये 6,44,40,021/- यानी अनुबंध के कुल मूल्य का 4 प्रतिशत मूल्य छूट लागू की और

गारंटी जिसे प्रतिवादी एन. सी. सी. एल. द्वारा पूरी तरह से स्वीकार किया गया। आई. ओ. सी. एल. का मामला है कि इसके बाद, प्रतिवादी के लिए आगे कोई दावा करने के लिए खुला नहीं था। अतः यह याचिकाकर्ता की ओर से यह मामला कि दावे के लिए 'सहमति और संतुष्टि' होने के कारण, एक 'अपवादात्मक दावा' होने के कारण, प्रतिवादी के लिए मध्यस्थता समझौते को लागू करने और मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुरोध करने के लिए खुला नहीं था। यह मामला [2022] 13 एस. सी. आर. पर भी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ता आई. ओ. सी. एल. की ओर से कहा गया है कि खंड 9.0.2.0 को ध्यान में रखते हुए महाप्रबंधक द्वारा "अधिसूचित दावों" पर विशिष्ट निर्णयों को देखते हुए, उन्हीं दावों के लिए जिन्हें महाप्रबंधक द्वारा "अधिसूचित दावे" नहीं माना जाता है, मामले को मध्यस्थ के पास नहीं भेजा जा सकता है। विषय हैं। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से यह मामला है कि रुपये 4,53,04,021/की राशि की स्वीकृति दबाव और जबरदस्ती के तहत थी। प्रत्यर्थी की ओर से यह भी मामला है कि पहले का प्रस्ताव दिनांक 02.11.2016 एक था

सशर्त और एक प्रस्ताव की प्रकृति में था और बाद में जब प्रस्ताव को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी, तो प्रतिवादी ने बिना किसी देरी के सूचित किया कि आंशिक रूप से अनुमति देने का निर्णय

ई. ओ. टी. के लिए आवेदन अस्वीकार्य है क्योंकि यह प्रतिवादी द्वारा दिए गए सशर्त प्रस्ताव के अनुसार नहीं है।

[पैरा 12] [703-ई-एच; 704-ए-सी]

विद्या द्रोलिया (ऊपर) के मामले में न्यायालय। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हालांकि यह विशेष रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि दावों के 'समझौते और संतुष्टि' के संबंध में पहलुओं पर न्यायालय द्वारा निर्णय लेने के चरण में विचार किया जा सकता है। धारा 11 (6) आवेदन, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने दावों के 'समझौते और संतुष्टि' के संबंध में उन पहलुओं को देखने में कोई त्रुटि नहीं की है।

या जहां कोई गंभीर विवाद है, उसे भारतीय तेल निगम लिमिटेड पर छोड़ना होगा।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण। लेकिन साथ ही हम सहमत नहीं हैं।

उच्च न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 में उप-धारा (6-ए) का सम्मिलन, धारा 11 याचिका में न्यायालय द्वारा जांच का दायरा सीमित है।

केवल यह पता लगाने के लिए कि उसके समक्ष पक्षों के लिए एक बाध्यकारी मध्यस्थता समझौता मौजूद है या नहीं, जो संबंधित है

हाथ में विवाद। हमारी राय है कि यद्यपि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अधिकारिता और गैर-मध्यस्थता के प्रश्न सहित विवादों का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र और अधिकार हो सकता है, लेकिन धारा 11 के आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में भी न्यायालय द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है यदि तथ्य बहुत स्पष्ट और स्पष्ट हैं और पक्षों के बीच बाध्यकारी समझौते के विशिष्ट खंडों को देखते हुए, क्या विवाद गैर-मध्यस्थ है और/या यह अपवाद खंड के भीतर आता है। यहां तक कि धारा 11 के आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में, न्यायालय प्रथम दृष्टया दावों के 'समझौते और संतुष्टि' के संबंध में भी विचार कर सकता है। [पैरा 13] [705-सी-एच; 706-ए-सी]

1.3 अब, जहाँ तक अधिसूचित दावों पर महाप्रबंधक के निर्णय पर संबंधित पक्षों की ओर से प्रस्तुत करने की बात है

एस. एल. पी. (सी) No.13161/2019 से उत्पन्न सिविल अपील No.341/2022 में, महाप्रबंधक ने निर्णय लिया है/घोषित किया है कि दावे मध्यस्थ नहीं हैं क्योंकि उनका निपटारा कर दिया गया था और मध्यस्थता समझौते को खंड के तहत खारिज कर दिया गया है। 6.7 .2.0 जी. सी. सी. और अब अस्तित्व में नहीं/अस्तित्व में नहीं है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, दावों का निपटारा किया गया था या नहीं, यह एक विवादास्पद और विवादास्पद प्रश्न है, जिसका निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अधिसूचित दावों से संबंधित मामलों को भी मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि तथ्य की स्थिति में 'समझौता और संतुष्टि' और 'अधिसूचित दावे' दोनों के पहलू आपस में जुड़े हुए हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। अब, जहाँ तक एसएलपी (सी) No.13816/2019 से उत्पन्न सिविल अपील No.342/2022 का संबंध है, महाप्रबंधक शक्तियों का प्रयोग करते हुए

खंड 9.0.2 के तहत घोषणा की गई थी कि प्रत्यर्थी का कोई भी दावा अधिसूचित दावा नहीं है। दिनांकित संचार से

22.06.2018 , ऐसा प्रतीत होता है कि महाप्रबंधक ने प्रत्यर्थी के सभी कथित अधिसूचित दावों पर विस्तृत रूप से विचार करने के बाद पाया है कि प्रत्यर्थी द्वारा किए गए दावों में से कोई भी एक अधिसूचित दावा नहीं है। [2022] 13 एस. सी. आर. के संयुक्त पठन पर।

जी. सी. सी. के प्रासंगिक खंड। खंड 9.0.1 और 9.0.2.0, केवल अधिसूचित दावों से उत्पन्न होने वाला विवाद, जो इसमें शामिल है

ठेकेदार के अंतिम विधेयक को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है। हालांकि, खंड 9.0.2 के अनुसार, ठेकेदार द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजे जाने वाले दावे पर कोई विवाद या अंतर एक अधिसूचित दावा है या नहीं, यह बहिष्कृत मामलों के अंतर्गत आता है और मध्यस्थ या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास इसके संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र और/या अधिकार नहीं होगा। विवाद या अंतर चाहे ठेकेदार द्वारा मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाने वाला दावा एक अधिसूचित दावा है या नहीं, किसी भी संदर्भ या मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने का विषय नहीं होगा और न ही बन सकता है। इसलिए, खंड 9.0.1.0 और 9.0.2.0 के निष्पक्ष और संयुक्त पठन पर, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि (i) केवल अधिसूचित दावे

खंड 6.6.3.0 के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार के अंतिम विधेयक में शामिल ठेकेदार को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए; (ii) ठेकेदार द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा जाने वाला दावा अधिसूचित दावा है या नहीं, मध्यस्थ या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। (iii) दावा एक अधिसूचित दावा है या नहीं, यह महाप्रबंधक द्वारा तय किया जाना चाहिए और वह भी मध्यस्थता की कार्यवाही से पहले या इसके साथ आगे बढ़ने से पहले।

संदर्भ। इसलिए, एक बार जब महाप्रबंधक, अभिलेख पर सामग्री के आधार पर एक सचेत निर्णय लेता है कि मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाने वाला एक विशेष दावा एक अधिसूचित दावा नहीं है, तो उसके बाद ऐसे दावे को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है। खंड 9.1.0 और 9.0.2.0 में उपयोग की गई भाषा बहुत स्पष्ट और असंदिग्ध है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, अनुबंध के पक्षकार (1) अनुबंध के उचित कानून, (2) मध्यस्थता समझौते के उचित कानून और (3) अनुबंध के उचित कानून की प्रयोज्यता पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं।

मध्यस्थता का संचालन। अनुबंध के पक्ष मध्यस्थता के दायरे से बाहर रखे गए मामलों के लिए भी सहमत हो सकते हैं। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के एक समूह में कहा गया है, जब तक कि समझौते के प्रभाव के परिणामस्वरूप किसी गैरकानूनी कार्य का निष्पादन नहीं होता है,

समझौता, जो अन्यथा वैध है, को अमान्य नहीं माना जा सकता है।

और पक्षों के बीच बाध्यकारी है। इस स्तर पर, श्रीकांत ट्रांसपोर्ट (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को संदर्भित करने की आवश्यकता है। इस न्यायालय के समक्ष मामले में, अनुबंध में मध्यस्थता के दायरे से कुछ मामलों को हटाने का प्रावधान किया गया था। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को भारतीय तेल निगम लिमिटेड v दिया गया था।

एनसीसी लिमिटेड

उसी पर निर्णय लेने का अधिकार और शक्ति। खंडों में से एक

बशर्ते कि वरिष्ठ अधिकारी का निर्णय, निर्णायक, अंतिम और पक्षों के बीच बाध्यकारी होगा। इस न्यायालय ने इसे 'अपवादात्मक मामलों' के रूप में माना। [पैरा 13.1 13.3] [706-सी-एच; 707-ए-जी]

1.4 मामले के उस दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय ने खंड 9.0.1 और 9.0.2 को गलत तरीके से पढ़ा और गलत व्याख्या की है।

यह अभिनिर्धारित करने में गंभीर त्रुटि कि जहां विवाद है या महाप्रबंधक द्वारा दिया गया निर्णय इस तर्क के लिए गुंजाइश छोड़ता है कि क्या ठेकेदार द्वारा कथित दावों को अधिसूचित दावे के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, मध्यस्थ पर छोड़ देना सबसे अच्छा है। न्यायाधिकरण। यह विवाद कि दावा एक अधिसूचित दावा है या नहीं, विशेष रूप से मध्यस्थता समझौते के दायरे, दायरे और दायरे से बाहर है। इसलिए, एक बार जब ऐसा विवाद 'अपवादित मामलों' के अंतर्गत आता है, तो अधिसूचित दावों के मुद्दे पर महाप्रबंधक द्वारा कोई भी निर्णय मध्यस्थता कार्यवाही का विषय नहीं हो सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने और उन दावों के संबंध में विवाद पर निर्णय लेने के लिए एक एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने में गलती की है, जिन्हें महाप्रबंधक द्वारा अधिसूचित दावे नहीं माना जाता है। इसलिए, सिविल अपील No.342/2022 उत्पन्न हो रही है।

एस. एल. पी. (सी) No.13408/2019 के साथ-साथ एस. एल. पी. (सी) Nos.13813/2019 और 13816/2019 से उत्पन्न होने वाली सिविल अपील Nos.343/2022 और 345/2022 क्रमशः अनुमति और आक्षेप के योग्य हैं।

संबंधित मध्यस्थता याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश रद्द किए जाने और खारिज किए जाने के योग्य हैं। [पैरा 13.4,13.5] [708-सी-जी] 1.5 उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है।

(1) उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता में पारित विवादित निर्णय और आदेश से उत्पन्न सिविल अपील No.341/2022

याचिका No.115/2018 एतद्वारा खारिज की जाती है। हालांकि, यह देखा गया है कि विद्वान मध्यस्थ पहले दावों के 'समझौते और संतुष्टि' और मध्यस्थता के संबंध में पहलू तय करेगा। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 के तहत एक आवेदन का निर्णय करके ऐसे दावों के संबंध में विवाद, जो लंबित होने की सूचना है। विद्वान मध्यस्थ पहले मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र और [2022] 13 एस. सी. आर. के भीतर दावों की मध्यस्थता का निर्णय करेगा।

पहली बैठक की तारीख से तीन महीने की अवधि जो आज से एक महीने की अवधि के भीतर होगी। सभी विवाद और/या बचाव जो संबंधित पक्षों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, उन्हें विद्वान मध्यस्थ द्वारा विचार करने के लिए खुला रखा जाता है।

कानून के अनुसार और अपने गुणों पर और विचार करने पर अनुबंध के प्रासंगिक खंड और अभिलेख पर सामग्री।

(2) उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता में पारित विवादित निर्णय और आदेश से उत्पन्न सिविल अपील No.342/2022

एतद्वारा याचिका No.356/2018 की अनुमति है। मध्यस्थता याचिका No.356/2018 में पक्षकारों के बीच विवाद को मध्यस्थता और मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए संदर्भित करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

(4) जहाँ तक सिविल अपील No.344/2022 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती है मध्यस्थता याचिका No.407/2018 का संबंध है, वही आंशिक रूप से है

अनुमति दी गई। मध्यस्थता याचिका No.407/2018 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को एतद्वारा इस हद तक संशोधित किया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी का केवल एक दावा जिसे महाप्रबंधक द्वारा अधिसूचित दावे के रूप में घोषित किया गया है, उसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना होगा और विद्वान मध्यस्थ केवल उस दावे का निर्णय करेगा जिसे महाप्रबंधक द्वारा अधिसूचित दावे के रूप में घोषित किया गया है और विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास किसी भी अन्य दावे पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जिसे अधिसूचित दावे के रूप में घोषित नहीं किया गया है। [पैरा 14] [709 बी-एच; 710-ए-डी]

सेन्ट्रोट्रेड मिनरल्स एंड मेटल इंक. v. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (2017) 2 एस. सी. सी. 228 [2016] 9 एस. सी. आर. 83; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड v. हुंडई इंग। &

कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड (2018) 17 एस. सी. सी. 607 [2018] 12 एस. सी. आर. 1085; ड्यूरो फेलगुएरा एस. ए. बनाम।

गंगावरम पोर्ट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड v. एनसीसी लिमिटेड

लिमिटेड (2017) 9 एससीसी 729: [2017] 10 एससीआर 285; यूनाइटेड भारत बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्राचीन कला निर्यात (पी) लिमिटेड

8 एस. सी. सी. 714 [2019] 12 एस. सी. आर. 123; विद्या द्रोलिया बनाम दुर्गा व्यापार निगम (2021) 2 एस. सी. सी. 1; स्विस समय

सीमित वी। राष्ट्रमंडल खेल 2010 का आयोजन

समिति (2014) 6 एससीसी 677: [2014] 6 एस. सी. आर. 514;

अम्बिका कंस्ट्रक्शन वी. भारत संघ (2006) 13 एससीसी

475 [2006] 9 पूरक। एससीआर 188; आर. एल. कलाथिया एंड कंपनी बनाम

गुजरात राज्य (2011) 2 एससीसी 400: [2011] 1 एससीआर 391; बीएसएनएल वी. मोटोरोला इंडिया (पी) लिमिटेड (2009) 2 एस. सी. सी. 337:

[2008] 13 एस. सी. आर. 445; राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम।

बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड (2009) 1 एस. सी. सी. 267: [2008]

13 एससीआर 638; जोस्टेल हॉस्पिटैलिटी (पी) लिमिटेड बनाम। ओरावेल स्टेज़

(पी) लिमिटेड (2021) 9 एससीसी 765; दातार स्विचगियर्स लिमिटेड v.

टाटा फाइनेंस लिमिटेड (2000) 8 एससीसी 151; डीएलएफ यूनिवर्सल

लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. निदेशक, नगर और देश योजना विभाग, हरियाणा और अन्य। (2010) 14 एससीसी 1: [2010]

15 एस. सी. आर. 85; राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम और ए. एन. आर. वी. हीरा और रत्न

विकास निगम लिमिटेड और ए. एन. आर. (2013) 5 एससीसी

वी. एस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड (2011) 5 एस. सी. सी. 532: [2011] 7 एस. सी. आर. 310; डी. एल. एफ. होम डेवलपर्स लिमिटेड बनाम राजपुरा

होम्स प्राइवेट लिमिटेड और एक और 2021 एससीसी ऑनलाइन

एससी 781 का उल्लेख किया गया है।

मामला कानून संदर्भ

[2016] 9 एससीआर 83

संदर्भित किया गया है

पैरा

8.1

[2018] 12 एससीआर 1085

पैरा

8.4

संदर्भित किया गया है

[2017] 10 एससीआर 285

संदर्भित किया गया है

पैरा

9.8

[2019] 5 एससीआर 521

पैरा

9.9

संदर्भित किया गया है

[2019] 12 एससीआर 123

संदर्भित किया गया है

पैरा

9.10

[2014] 6 एससीआर 514

संदर्भित किया गया है

पैरा

9.13

[2006] 9 पूरक। एससीआर 188

संदर्भित किया गया है

[2011] 1 एससीआर 391

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9.15

[2008] 13 एससीआर 445

पै

रा 9.16

संदर्भित किया गया है

[2008] 13 एससीआर 638

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9.16

(2021) 9 एस. सी. सी. 765

पै

रा 9.16

संदर्भित किया गया है

(2000) 8 एस. सी. सी. 151

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9.18

[2010] 15 एससीआर 85

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10.5

[2013] 4 एससीआर 331

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10.6

[2011] 7 एससीआर 310

पै

रा 10.9

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.341

2022 .

उच्च न्यायालय के 08.02.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 की मध्यस्थता याचिका संख्या 115 में नई दिल्ली में।

के साथ

2022 की सिविल अपील Nos.342,344,343 और 345।

के. के. वेणुगोपाल, एजी, वी. एन. कौरा, एस. सिरीश कुमार, अवनीश

मेसर्स अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी के लिए अर्पुथम, एड. अपीलार्थी के लिए।

रंजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , के. परमेश्वर, अमित जॉर्ज, ए.

श्रीगुरुप्रिय, प्रसाद हेगड़े, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. जैसे-जैसे इस समूह में कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न उठते हैं

समान पक्षों के बीच और समान अनुबंधों/समझौतों के संबंध में, इन सभी अपीलों का निर्णय इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा एक साथ किया जाता है।

2. विवादित फैसले से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना

और दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा मध्यस्थता याचिकाओं के संबंध में पारित आदेश, जिनके द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "मध्यस्थता अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 11 (6) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय ने उक्त याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है और दोनों पक्षों के बीच विवाद को संदर्भित करके विद्वान मध्यस्थ को नियुक्त किया है।

मध्यस्थता के लिए पक्षों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

भारतीय तेल निगम लिमिटेड v. एनसीसी लिमिटेड

[एम. आर. शाह, जे.]

3. सुविधा के लिए, विशेष से उत्पन्न होने वाली दीवानी अपील

उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता याचिका No.115/2018 में पारित आदेश से उत्पन्न छुट्टी याचिका No.13161/2019 को प्रमुख माना जाता है। बात है।

4. वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गतः

4.1 . अपीलार्थी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद "आईओसीएल" के रूप में संदर्भित) ने वर्णित कार्यों के संबंध में एक निविदा जारी की। "पारादीप रिफाइनरी परियोजना के लिए वी. जी. ओ.-एच. डी. टी., डी. एच. डी. टी. और एच. सी. डी. एस. इकाइयों (ई. पी. सी. एम.-2) के सिविल, संरचनात्मक और संबद्ध यू. जी. पाइपिंग कार्यों" के रूप में। इसमें प्रतिवादी-एन. सी. सी. लिमिटेड (इसके बाद "एन. सी. सी. एल". के रूप में संदर्भित) को सफल बोलीदाता घोषित किया गया था। दिनांक 17.03.2010 पर स्वीकृति पत्र जारी होने के बाद, दोनों पक्षों के बीच दिनांक 28.04.2010 पर एक औपचारिक समझौता किया गया था। समझौते के प्रासंगिक खंड जिनका वर्तमान अपीलों में शामिल मुद्दों पर प्रभाव पड़ सकता है, वे इस प्रकार हैं:

" 1.21 .0.0

" अधिसूचित दावे का अर्थ होगा-के अनुसार अधिसूचित ठेकेदार का दावा।

इसके खंड 6.6.1 के प्रावधान।

XXX

XXX

XXX

ठेकेदार द्वारा दावे

क्या ठेकेदार को यह विचार करना चाहिए कि वह

6.6 .1.0

खंड 6.3.1 में निर्दिष्ट अनुबंध के संदर्भ में देय राशियों के अलावा कार्यों के संबंध में किसी भी अतिरिक्त भुगतान या मुआवजे का हकदार है या यदि ठेकेदार किसी चालू खाता बिल से स्वामी द्वारा की गई या धमकी दी गई किसी भी कटौती की वैधता पर विवाद करता है, तो ठेकेदार तुरंत प्रभारी अभियंता को इस संबंध में अपने दावे की लिखित सूचना देगा।

और साइट इंजीनियर किसी भी कार्य के संबंध में आदेश या निर्देश जारी करने की तारीख से 10 (दस) दिनों के भीतर जिसके लिए ठेकेदार दावा करता है। ऐसा अतिरिक्त भुगतान या क्षतिपूर्ति या

एक अन्य घटना जिस पर ठेकेदार ऐसे दावे को आधार बनाता है, और ऐसी सूचना ऐसे दावे की प्रकृति का पूरा विवरण देगी, [2022] 13 एस. सी. आर.

मेरी अदालत की रिपोर्ट

जिस आधार पर यह आधारित है, और दावा की गई राशि। स्वामी किसी भी मामले में उत्तरदायी नहीं होगा।

ठेकेदार द्वारा किसी भी दावे की जब तक कि इस तरह के दावे की सूचना उसके द्वारा नहीं दी गई होगी।

इंजीनियर-प्रभारी और साइट इंजीनियर को तरीके से और समय के भीतर ठेकेदार

उपरोक्त और ठेकेदार को किसी भी और सभी दावों और किसी भी दावे के संबंध में अपने सभी अधिकारों को माफ कर दिया है जो उसे अधिसूचित नहीं किया गया है।

प्रभारी अभियंता और स्थल अभियंता लिखित रूप में और उपरोक्त समय के भीतर।

प्रभारी इंजीनियर और/या साइट इंजीनियर पर उपरोक्त प्रावधानों के भीतर या अन्यथा ठेकेदार द्वारा किए गए दावे या दावे की किसी भी सूचना का जवाब देने या उसे अस्वीकार करने का कोई दायित्व नहीं होगा और ठेकेदार द्वारा किए गए या अधिसूचित किसी भी दावे को अस्वीकार करने में प्रभारी इंजीनियर या साइट इंजीनियर की ओर से कोई चूक या विफलता नहीं होगी।

इसके साथ व्यवहार करने में देरी को स्वामी द्वारा ऐसे दावे की वैधता की स्वीकृति या स्वामी द्वारा इसके किसी भी अधिकार की छूट माना जाएगा। उसके संबंध में, इस आशय से कि ऐसे सभी दावे

खंड 6.6.3 और 6.6.1 के साथ पठित खंड 6.6.1 के प्रावधानों के भीतर अन्यथा वैध होने पर अंतिम विधेयक प्रस्तुत करते समय स्वामी द्वारा विचार किया जाएगा।

इसके खंड 6.6.1.0 के प्रावधान के अनुसार अधिसूचित ठेकेदार के किसी भी दावे को, जो ठेकेदार द्वारा अंतिम विधेयक तैयार करने के समय बने रहेंगे, उसके द्वारा तैयार किए गए अंतिम विधेयक में अलग से शामिल किया जाएगा। दावे की प्रकृति, आधार जिसके आधार पर यह आधारित है, और दावा की गई राशि का विवरण देते हुए, उससे जुड़े दावों के विवरण के रूप में ठेकेदार और

ठेकेदार द्वारा इसके संबंध में प्रभारी अभियंता को भेजे गए नोटिस की प्रति और

इसके खंड 6.6.1.0 के तहत साइट इंजीनियर।

अब तक निगम सीमित v. एनसीसी लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.]

जैसा कि ऐसा दावा किसी भी तरीके से या विशेष रूप से होगा

इसके खंड 6.6.1 के प्रावधान के भीतर ठेकेदार द्वारा अधिसूचित दावे के साथ भिन्नता, इसे परिणाम के साथ अधिसूचित दावे से अलग दावा माना जाएगा।

खंड 6.6.1 में इंगित उसके संबंध में और अधिसूचित दावे के संबंध में परिणामों के साथ जैसा कि इसके खंड 6.6.3.1 में दर्शाया गया है।

स्वामी किसी भी मामले में उत्तरदायी नहीं होगा। किसी भी अधिसूचित दावे का, जो इसके खंड 6.6.3 के प्रावधानों के अनुसार अंतिम विधेयक में विशेष रूप से प्रतिबिंबित नहीं होता है और किसी भी और सभी अधिसूचित दावे का, जो अंतिम विधेयक में विशेष रूप से प्रतिबिंबित और शामिल नहीं हैं।

खंड 6.6.3 के प्रावधानों के अनुसार यह माना जाएगा कि ठेकेदार द्वारा इसे माफ कर दिया गया है। इसके अलावा स्वामी के पास होगा

उसके संबंध में कोई दायित्व नहीं और

ठेकेदार को वेतन बढ़ाने या बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा।

अंतिम विधेयक में किसी अधिसूचित दावे के अलावा कोई भी दावा शामिल किया गया है जो हर तरह से और इसके खंड 6.6.3 के प्रावधानों के अनुसार।

मालिक के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी और सभी अधिसूचित दावों को दर्शाता है। ठेकेदार द्वारा उसके अधीन या उसके संबंध में किए गए अनुबंध या कार्य के संबंध में, और ठेकेदार किसी भी कानून या अनुबंध के तहत किसी भी सक्षम प्रावधान के बावजूद और परिमाण योग्यता में दावे के किसी भी अधिकार के बावजूद, जो ठेकेदार को उसके संबंध में हो सकता है, यह माना जाएगा कि उसने अंतिम विधेयक में शामिल नहीं किए गए किसी भी और ऐसे सभी दावों को माफ कर दिया है और मालिक को उससे और उसके खिलाफ दोषमुक्त और निर्वहन कर दिया है, भले ही उसमें उपरोक्त को शामिल न किया गया हो, लेकिन ठेकेदार के पास [2022] 13 एस. सी. आर. होगा।

मेरी अदालत की रिपोर्ट

इसके संदर्भ में या अन्यथा ठेकेदार द्वारा किसी भी दावे के अस्तित्व के बावजूद, ठेकेदार जारी रहेगा और इसके लिए बाध्य होगा अनुबंध के अनुसार सभी मामलों में कार्यों को जारी रखें और पूरा करें (जब तक कि

अनुबंध या कार्य पूर्व में निर्धारित किए जाएँ इसके संदर्भ में स्वामी) और अनुबंध के तहत सभी मामलों में उत्तरदायी और बाध्य रहेगा।

किसी भी कार्य या कार्य की वस्तु के निष्पादन के दौरान ठेकेदार को खाते में किसी भी राशि का भुगतान जिसके संबंध में ठेकेदार द्वारा दावे को अधिसूचित किया गया है

खंड 6.6.1 इसका या बातचीत करना या बातचीत करना

स्वामी द्वारा ऐसे कार्य या कार्य की वस्तु के निष्पादन के संबंध में किसी भी अंतरिम व्यवस्था की, स्वामी द्वारा संबंधित दावे की स्वीकृति नहीं मानी जाएगी, या इसके किसी भी हिस्से या हिस्से को इस इरादे से कि ऐसा कोई भुगतान

ठेकेदार के लिए केवल एक अंतरिम सुविधा या अंतरिम सहायता का गठन करेगा, न कि

स्वामी पर दायित्व।

स्वामी की देयता का निर्वहन

ठेकेदार के अंतिम बकाया के संबंध में ठेकेदार को स्वामी द्वारा भुगतान की गई किसी भी राशि की ठेकेदार द्वारा स्वीकृति। अंतिम विधेयक के तहत इस शर्त पर कि उक्त भुगतान ठेकेदार को सभी कथित देय राशि के पूर्ण और अंतिम निपटान में किया जा रहा है, के अधिसूचित दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना

अंतिम विधेयक में शामिल ठेकेदार

इसके खंड 6.6.3 के तहत प्रावधानों और इसके तहत संबद्ध प्रावधानों के अनुसार, ठेकेदार को ऐसे सभी बकाया की पूर्ण और अंतिम संतुष्टि के रूप में माना जाएगा। योग्य टिप्पणी, विरोध या अनुबंध निगम लिमिटेड द्वारा लगाई गई या कथित रूप से लगाई जाने वाली शर्त।

(मध्यस्थता खंड सहित), इसके खंड 6.8.2 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अधिसूचित के संबंध को छोड़कर निर्वहन और समाप्त हो जाएगा। अंतिम विधेयक में शामिल ठेकेदार के दावे और ठेकेदार के संबंध को छोड़कर

दोष देयता अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने पर इसके खंड 6.8.3 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति जमा के असंबद्ध हिस्से को प्राप्त करने की पात्रता। ठेकेदार द्वारा किसी की भी स्वीकृति

के अधिसूचित दावों के संबंध में ठेकेदार को स्वामी द्वारा भुगतान की गई राशि अंतिम विधेयक में इसके खंड 6.6.3 के प्रावधानों और इसके तहत संबद्ध प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार को शामिल किया गया है।

शर्त यह है कि ऐसा भुगतान सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान में किया जा रहा है

ठेकेदार, इसके खंड 6.7.3 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ठेकेदार द्वारा इस तरह की स्वीकृति के संबंध में लगाई गई या कथित रूप से लगाई गई किसी भी योग्य टिप्पणी, विरोध या शर्त के बावजूद ठेकेदार के सभी दावों की पूर्ण और अंतिम संतुष्टि माना जाएगा। इस इरादे से भुगतान कि ठेकेदार द्वारा उपरोक्त रूप में किए गए किसी भी भुगतान की स्वीकृति पर, अनुबंध (मध्यस्थता खंड सहित) निर्वहन और समाप्त हो जाएगा जहां तक उनके दावों से संबंधित है और/या संबंधित है।

ठेकेदार।

खंड 6.7.1 में दिए गए किसी भी प्रावधान के बावजूद और/या इसके खंड 6.7.2.0 के संदर्भ में दोषों के लिए और खंड 6.8.2.0 के संदर्भ में स्वामी को क्षतिपूर्ति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा और रहेगा, और असंबद्ध शेष राशि [2022] 13 एस. सी. आर. प्राप्त करने का हकदार रहेगा।

मेरी अदालत की रिपोर्ट

के हाथों में शेष प्रतिभूति जमा इसके खंड 6.8.3 के संदर्भ में स्वामी।

XXX

XXX

XXX

और 9.0.2 इसके अलावा, अंतिम में शामिल ठेकेदार के अधिसूचित दावे से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद इसके खंड 6.6.3 के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार का विधेयक, यदि ठेकेदार ने इसके खंड 9.1.1 में निर्दिष्ट वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का विकल्प नहीं चुना है, और इसके खिलाफ स्वामी के किसी भी दावे (दावों) से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद -

ठेकेदार को इसके खंड 9.1 के प्रावधानों के अनुसार चुने गए एकमात्र मध्यस्थ के मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। यह विशेष रूप से सहमत है कि यदि ठेकेदार के किसी अधिसूचित दावे को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया गया है तो स्वामी ठेकेदार के खिलाफ अपने दावे को जवाबी दावे के रूप में पसंद कर सकता है। ठेकेदार करेगा

हालाँकि, किसी भी दावे को, जो अधिसूचित नहीं है, बचाव या प्रतिवाद के रूप में उठाने का हकदार नहीं होगा।

इसके खंड 6.6.3 के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार के अंतिम विधेयक में दावा शामिल किया गया है।

खंड 9.1 में निर्दिष्ट एकमात्र मध्यस्थ का चयन ठेकेदार द्वारा ऐसे चयन के उद्देश्य से स्वामी द्वारा नामित 3 (तीन) व्यक्तियों के पैनल में से किया जाएगा, और यदि ठेकेदार इस उद्देश्य के लिए स्वामी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ऐसे नामांकित व्यक्तियों के नामों के पैनल के 30 (तीस) दिनों के भीतर मध्यस्थ का चयन करने में विफल रहता है, तो एकमात्र मध्यस्थ का चयन उक्त पैनल में से स्वामी द्वारा किया जाएगा।

निम्नलिखित में से किसी भी मामले के संबंध में या उससे संबंधित या उससे संबंधित किसी भी विवाद या मतभेद को इसके दायरे से विशेष रूप से बाहर रखा गया है।

के साथ इस मध्यस्थता समझौते की परिधि और परिधि

इरादा कि किसी भी विवाद या मतभेद के साथ निम्नलिखित में से किसी भी मामले और/या मध्यस्थ या मध्यस्थ न्यायाधिकरण से संबंधित मामलों के संबंध में

उनके संबंध में अधिकारिता नहीं होगी और नहीं भी हो सकती है।

किसी भी संदर्भ की विषय वस्तु का गठन करें या मध्यस्थता को प्रस्तुत करना, और मध्यस्थ या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा

और ऐसा मामला मध्यस्थ द्वारा संदर्भ के साथ आगे बढ़ने या आगे बढ़ने से पहले महाप्रबंधक द्वारा तय किया जाएगा। उक्त बहिष्कृत मामले इस प्रकार हैं: ((i) इसके दायरे या अस्तित्व के संबंध में या उससे संबंधित या अन्यथा मध्यस्थता समझौता; (ii) दावा है या नहीं

ठेकेदार एक अधिसूचित दावा है; (iii) इसमें एक अधिसूचित दावा शामिल है या नहीं। के अनुसार ठेकेदार का अंतिम विधेयक

इसके खंड 6.6.3 के प्रावधान। (iv) ठेकेदार ने विकल्प चुना है या नहीं किसी के संबंध में विवाद समाधान मशीनरी

ठेकेदार में शामिल अधिसूचित दावा

अंतिम बिल। भारतीय मध्यस्थता और सुलह के प्रावधान

अधिनियम, 1996 और इसके तहत बनाए गए नियमों का कोई भी पुनः अधिनियमन और/या संशोधन मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा। निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए: (क) मध्यस्थ अपना पुरस्कार अलग से देगा।

प्रत्येक दावे और प्रतिवाद का सम्मान; और (ख) मध्यस्थ किसी भी दावे की समीक्षा करने का हकदार नहीं होगा। निर्णय, राय या दृढ़ संकल्प (चाहे जो भी हो)

व्यक्त) जिसे अंतिम और/या बाध्यकारी कहा जाता है

अनुबंध के संदर्भ में ठेकेदार पर

दस्तावेज़ "।

पक्षों के बीच किया गया अनुबंध, परियोजना की शुरुआत या शुरुआत ई की तारीख थी। 03.03.2010 , और यह कि पूरा होने की निर्धारित तिथि [2022] 13 एस. सी. आर.

02.10.2011 था। ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना के निष्पादन में देरी हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना केवल 28.12.2015 पर पूरी हुई थी। एन. सी. सी. एल. को आई. ओ. सी. एल. द्वारा एक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसमें परियोजना के पूरा होने की तारीख 28.12.2015 के रूप में दर्शाई गई थी। निर्धारित तिथि से आगे परियोजना के पूरा होने में देरी को देखते हुए, एन. सी. सी. एल. ने दिनांक 23.05.2016 के संचार के माध्यम से समय बढ़ाने का अनुरोध किया। जबकि ई. ओ. टी. अनुरोध आई. ओ. सी. एल. के पास लंबित थे, एन. सी. सी. एल.

प्रभारी अभियंता को अपना अंतिम बिल दिनांक 05.08.2016 प्रस्तुत किया।

पक्षों के बीच अनुबंध के तहत नियुक्त। एन. सी. सी. एल. के अनुसार, एन. सी. सी. एल. ने अपने अंतिम बिल दिनांक 05.08.2016 में अधिसूचित दावों का एक विशिष्ट संदर्भ दिया। के बीच पत्राचार थे

इंजीनियर-प्रभारी और थाइसेनक्रुप इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस इंडिया (पी) लिमिटेड (इसके बाद "टीकेआईएस" के रूप में संदर्भित) अंतिम बिल के निपटान और समय विस्तार (ईओटी) के लिए अनुरोध लंबित है। एन. सी. सी. एल. ने अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से टी. के. आई. एस. द्वारा दिनांकित 01.11.2016 संचार का जवाब दिया।

दिनांकित 02.11.2016। ऐसा प्रतीत होता है कि एन. सी. सी. एल. ने टी. के. आई. एस. को सूचित किया कि यदि ई. ओ. टी. के लिए उसके अनुरोध को अनुकूल माना जाता है और यदि मूल्य समायोजन 4 प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो विभिन्न संचारों और अंतिम बिल के माध्यम से प्रस्तुत किए गए अधिसूचित दावों सहित उसके सभी अतिरिक्त/अतिरिक्त दावों को वापस लिया जाना माना जाना चाहिए। 4.3 . टी. के. आई. एस. ने एन. सी. सी. एल. से उपरोक्त सूचना प्राप्त करने के बाद ई. ओ. टी. के अनुरोध के संबंध में अपनी सिफारिशें कीं।

एनसीसीएल द्वारा बनाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद, टी. के. आई. एस. ने अपने दिनांक आई. डी. 2 के संचार में एन. सी. सी. एल. को सूचित किया कि उसने आई. डी. 5 से आई. डी. 1 के बीच की अवधि के लिए ई. ओ. टी. को मंजूरी दी थी, हालांकि, अनुबंध की सामान्य शर्तों (जिसे इसके बाद जी. सी. सी. के रूप में संदर्भित किया गया है) के खंड 4.4.0 के अनुसार मूल्य छूट के बिना और आई. डी. 3 से आई. डी. 4 के बीच की अवधि के लिए, जो 55 दिनों की अवधि को कवर करती है, यह निष्कर्ष निकाला था कि देरी एन. सी. सी. एल. के कारण हुई थी। तदनुसार, टीकेआईएस ने एनसीसीएल को सूचित किया कि बाद की अवधि के लिए, जीसीसी के खंड 4.4.2 के अनुसार, 4 प्रतिशत की मूल्य समायोजन छूट लागू होगी।

4.4 . एन. सी. सी. एल. की ओर से यह मामला है कि उसने अपने निर्णय और समझौते पर पुनर्विचार करने के लिए आई. ओ. सी. एल. को 23.01.2017 पर लिखा। ई. ओ. टी. पूरा होने की तारीख तक यानी 28.12.2015 मूल्य के प्रति कोई समायोजन किए बिना जैसा कि दिनांकित संचार में संकेत दिया गया है।

13.01.2017 .

4.5 . कि, इसके बाद, आई. ओ. सी. एल. ने रु. 4,53,04,021/दिनांकित 13.01.2017 के संचार के अनुसार गणना की गई राशि जारी की।

करों आदि के प्रति उचित समायोजन करने के बाद।

भारतीय तेल निगम लिमिटेड v. एनसीसी लिमिटेड

[एम. आर. शाह, जे.]

4.6 . ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में और 6 और 1/2 की अवधि के बाद

16.05.2017 , एन. सी. सी. एल. ने आई. डी. 2 के पत्र को अस्वीकार कर दिया और आरोप लगाया कि उसे जबरदस्ती के तहत अपने दावे को वापस लेने के लिए कहा गया था और उसने अपने अधिसूचित दावों को वापस ले लिया था क्योंकि टी. के. आई. एस. ने अपने दिनांकित आई. डी. 1 के माध्यम से संकेत दिया था कि अंतिम बिल की समीक्षा और ई. ओ. टी. के लिए अनुरोध पर तभी विचार किया जाएगा जब वह अपने अधिसूचित दावों पर विचार करने पर अपना आग्रह छोड़ देगा। 4.7 . उस आई. ओ. सी. एल. ने अपनी प्रतिक्रिया दिनांक 06.06.2017 के संचार के माध्यम से भेजी, जिसमें उसने कहा कि अंतिम बिल में उल्लिखित दावों में से कोई भी अधिसूचित दावा नहीं था।

4.8 . उपरोक्त पृष्ठभूमि में, एन. सी. सी. एल. ने 01.07.2017 पर समझौते में निहित मध्यस्थता खंड को लागू किया। कि, आईओसीएल, में खंड 9.0.2.0 के अनुसार मध्यस्थता के संबंध में मामला संदर्भित किया गया

12.07.2017 पर महाप्रबंधक को एन. सी. सी. एल. के दावों का।

4.9 . 10.11.2017 दिनांकित संचार/पत्र के माध्यम से, महाप्रबंधक ने कहा कि दावों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है और यह कि

एन. सी. सी. एल. द्वारा अपने अधिसूचित दावों को वापस लेने के कारण मध्यस्थता समझौता खुद जीवित नहीं रहता है। महाप्रबंधक ने अभिनिर्धारित किया कि इसलिए मध्यस्थता को संदर्भित करने के लिए कोई विवाद मौजूद नहीं है।

4.10 . इसके बाद प्रतिवादी-एन. सी. सी. एल. ने एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थता याचिका दायर करके दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उक्त याचिका का आई. ओ. सी. एल. ने कई आधारों पर विरोध किया था। तथापि, अपीलार्थी-आईओसीएल की ओर से उठाई गई सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए विवादित निर्णय और आदेश, उच्च न्यायालय ने उक्त अनुमति दी है

मध्यस्थता याचिका दायर की और एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया।

4.11 . उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता याचिका No.115/2018 में दिनांक 08.02.2019 पर पारित विवादित निर्णय और आदेश वर्तमान सिविल अपील No.341/2022 (विशेष अनुमति याचिका No.13161/2019 से उत्पन्न) का विषय है। 5. समान पक्षों के बीच और समान मध्यस्थता खंडों के साथ अन्य चार अनुबंधों के संबंध में, एन. सी. सी. एल. के दावों को भेजा गया था

जी. सी. सी. के खंड 9.0.2 के तहत महाप्रबंधक। जहां तक एसएलपी No.13408/2019 से उत्पन्न सिविल अपील का संबंध है, एनसीसीएल ने महाप्रबंधक से संपर्क नहीं किया, लेकिन उच्च न्यायालय के समक्ष दायर मध्यस्थता याचिका को आईओसीएल द्वारा [2022] 13 एस. सी. आर. के लिए महाप्रबंधक को भेज दिया गया था।

जी. सी. सी. के खंड 9.0.2 के तहत इसका निर्धारण। कि, सभी शेष चार मामलों (सिविल अपील Nos.342/2022 से 345/2022) में, महाप्रबंधक ने घोषणा की कि कोई भी दावा अधिसूचित दावा नहीं था।

6. इसके बाद एन. सी. सी. एल. ने उच्च न्यायालय का रुख किया

मध्यस्थता याचिका सं। 115/2018 , 356/2018 , 116/2018 , 407/2018 और 406/2018. विवादित निर्णय और आदेशों द्वारा, उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत सभी संबंधित आवेदनों को अनुमति दी है और विभिन्न विवादित निर्णय और आदेशों द्वारा, एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश सिविल अपील Nos.341/2022 से 345/2022 का विषय है।

7. विद्वान महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल पेश हुए हैं।

दोनों पक्ष पक्षों के बीच किए गए अनुबंध की शर्तों द्वारा शासित होते हैं। जीसीसी। कि वास्तव में, दोनों पक्ष पक्षों के बीच विवाद के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया द्वारा शासित होते हैं, विशेष रूप से जीसीसी और मध्यस्थता में निहित खंड।

8.1 विद्वान महान्यायवादी द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि पक्ष की स्वायत्तता मध्यस्थता की रीढ़ है और अनुबंध की शर्तों की व्याख्या उस तरह से की जानी चाहिए जिस तरह से पक्ष चाहते थे और उनका इरादा था। इस संबंध में सेंट्रोट्रेड मिनरल्स एंड मेटल इंक. बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता रखी गई है। हिन्दुस्तान

कॉपर लिमिटेड ने (2017) 2 एस. सी. सी. 228 (पारस 38-42) में सूचना दी।

8.2 विद्वान महान्यायवादी द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुबंधों की तीन श्रेणियां हैं जो विचार के लिए उत्पन्न हो सकती हैं, जो संक्षेप में कहा जा सकता है:

(i) जहां कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है। चूंकि मध्यस्थता समझौता अपने आप में एक स्वतंत्र अनुबंध है और इसमें सहमति होती है।

प्रकृति, यह पक्षों पर छोड़ दिया जाता है कि वे अंतर्निहित अनुबंध में एक मध्यस्थता समझौते को शामिल करें, या इसे शामिल न करें। यदि किसी अनुबंध में कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है, तो किसी भी पक्ष के लिए विवाद उत्पन्न होने पर एकमात्र विकल्प मुकदमे के माध्यम से जाना है।

((ii) एक मध्यस्थता समझौता अंतर्निहित अनुबंध में या अनुबंध के बाहर मौजूद हो सकता है, जो शर्तों में निरपेक्ष है।

यह भारतीय तेल निगम लिमिटेड v है। एनसीसी लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.]

मानक मध्यस्थता खंड, और "जहां के संबंध में पक्षों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है" की प्रकृति में होगा

इस अनुबंध की व्याख्या या कार्यान्वयन, इसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

यह एक अनियंत्रित या पूर्ण मध्यस्थता होगी।

खंड।

ऐसे मामले में, धारा 11 (6-ए) की पृष्ठभूमि में, न्यायालय द्वारा मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने से इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं होगा। उत्पन्न होता है, यदि यह पाता है कि मध्यस्थता समझौता मौजूद है और वैध है। ऐसे मामले में पक्षों के बीच हर विवाद को संदर्भित करना पड़ता है

मध्यस्थता के लिए क्योंकि धारा 11 (6-ए) इसे अनिवार्य करेगी; (iii) तीसरी श्रेणी वह होगी जहां पक्षकार एक मध्यस्थता खंड रखने के लिए सहमत होंगे, लेकिन सहमति से भी सहमत होंगे कि

केवल निर्दिष्ट विवाद ही मध्यस्थता का विषय होंगे। यह

इसका अर्थ यह होगा कि अन्य सभी विवादों के संबंध में कोई मध्यस्थता खंड मौजूद नहीं है, और 'अपवाद' या 'बहिष्कृत' विवादों के संबंध में कोई मध्यस्थता खंड मौजूद नहीं होगा। ऐसे मामले में, धारा 11 (6 ए) को स्वयं लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन अन्य विवादों के संबंध में कोई मध्यस्थता खंड मौजूद नहीं है। यह एक प्रतिबंधित मध्यस्थता खंड होगा।

8.3 विद्वान महान्यायवादी द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब जी. सी. सी. में उल्लिखित सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं और

प्रक्रिया का पालन किया जाता है और केवल प्रतिबंधित मध्यस्थता खंडों के संबंध में और अधिसूचित दावों के संबंध में केवल पक्षों के बीच विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है।

8.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिबंधित मध्यस्थता खंडों के कई उदाहरण हैं। रिलायंस को इस निर्णय पर रखा गया है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में न्यायालय बनाम हुंडई इंग। & कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने (2018) 17 एस. सी. सी. 607 में रिपोर्ट किया, जहां मध्यस्थता खंड में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहां बीमाकर्ता के खिलाफ दावा किया जाता है और बीमाकर्ता अपने दायित्व से इनकार करता है, वहां मध्यस्थता का कोई संदर्भ नहीं हो सकता है। उपरोक्त निवेदन के समर्थन में, इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भरता रखी गई है:

(1)

विद्या द्रोलिया बनाम। दुर्गा ट्रेडिंग कार्पोरेशन। [(2021) 2 एस. सी. सी. 1, पारस 113-116)

(2) गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड बनाम

निर्माण और इंजीनियरिंग।

[(2019) 9 एस. सी. सी. 209, पारस 28-29)

(3)

स्टील (पी) लिमिटेड

[(2018) 6 एस. सी. सी. 534, पारस 10,23]

8.5 विद्वान महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त निर्णयों में, इस न्यायालय को धारा 11 (6-ए) की प्रयोज्यता और इसके प्रभाव पर विचार करने का अवसर मिला था।

8.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि गरवारे (उपरोक्त) के मामले में, यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि जहां मध्यस्थता खंड सहित अंतर्निहित अनुबंध है

8.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्या द्रोलिया (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने प्रतिबंध के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर विचार किया था। मध्यस्थता खंड। लेकिन अप्रतिबंधित खंडों के मामले में, अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना होगा, क्योंकि

धारा 11 (6-ए)। हालाँकि, तत्काल मामला एक प्रतिबंधित मध्यस्थता खंड का मामला है जो विशेष रूप से मध्यस्थता से कुछ मुद्दों को बाहर करता है, जिसके परिणामस्वरूप, उन 'अन्य' या 'अपवादित' विवादों के लिए कोई मध्यस्थता खंड मौजूद नहीं है और इसलिए, उन विवादों को संदर्भित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। कि विद्या द्रोलिया (ऊपर) के मामले में, मध्यस्थता समझौता स्वयं निर्धारित करता है कि मध्यस्थता से क्या बाहर है। इसलिए,

संदर्भ। 8.8 विद्वान महान्यायवादी द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी एन. सी. सी. एल. को अंतिम बिल की राशि प्राप्त हुई

उनके दावों का पूर्ण निपटान। कि वर्तमान मामले में मध्यस्थता खंड स्वयं कहता है कि जहां पक्ष द्वारा अंतिम बिल राशि प्राप्त की गई है, या जहां अधिसूचित दावों के कारण कोई राशि प्राप्त हुई है, मध्यस्थता खंड स्वयं समाप्त हो जाता है। इसलिए, यह तथ्य कि अंतिम बिल की राशि पूर्ण निपटान में प्राप्त हो गई है, किसी भी विशिष्ट शर्त द्वारा संदर्भ का विषय नहीं हो सकता है।

अनुबंध।

8.9 विद्वान महान्यायवादी हमें प्रासंगिक खंडों पर ले गए हैं

जी. सी. सी. के अधिक विशेष रूप से खंड 1.21.0,6.6.0,6.6.1.0,6.6.2.0,6.6.3.0,6.6.1.6.4.0,6.6.5.0,6.6.6.6.0,6.6.0.0, 6.7.1.0,6.7.1.0,6.7.1.0,6.7.1.0,6.7.1.0,6.7.1.0,6.7.1.0,6.7.1.0,6.7.1.0,6.7 .1.0,6.6.1.0,6.6.1.0,6.6.1.0,6.6.1,6.6.1,6.6.1,6.6.1,6.6.1,6.6.1,6.6.1,6.6. 1,6.6.1,6.6.1,6.6.1,6.6.1,6.6.1,6.6.1,6.6.1,6.6.1,6.6.1,6.6.1,6.6.1,6.6.1,6 .6.1,6.6.1,6.6 0 , 9.0 .1.0 , 9.0 .1.1 , 9.0 .2.0 और 9.0.3.0। यह तर्क दिया जाता है कि खंड 9.1.0 के अनुसार, एकमात्र मामला जिसके लिए मध्यस्थता का संदर्भ मांगा जा सकता है, वह अंतिम विधेयक में शामिल "अधिसूचित दावा" है और कोई अन्य विवाद नहीं है। कि अंतिम में अधिसूचित दावों के अलावा अन्य सभी विवाद शामिल हैं

बिल, एक मुकदमे के माध्यम से पीछा किया जाना है। "अधिसूचित दावा" अभिव्यक्ति को जी. सी. सी. के खंड 1.21.0 में परिभाषित किया गया है।

8.10 यह आग्रह किया जाता है कि केवल वे अधिसूचित दावे जिन्हें अधिसूचित किया जाता है

खंड 6.6.1.0 के प्रावधानों के अनुसार, मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है।

8.11 यह प्रस्तुत किया जाता है कि पक्षों को इसके भीतर प्रदान करने की स्वतंत्रता है

अनुबंध कुछ मामलों के समाधान के लिए एक विभागीय तंत्र है, जिसका निर्धारण मध्यस्थता के दायरे से बाहर होगा। कि ऐसी विभागीय मशीनरी, अनुबंध में सन्निहित पक्षों की इच्छा होने के नाते, का सम्मान किया जाना चाहिए और उसे प्रभावी बनाया जाना चाहिए। उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भरता रखी गई हैः

((i)

भारतीय खाद्य निगम बनाम। श्रीकांत ट्रांसपोर्ट (1999) 4 एस. सी. सी. 491 (पैरा 2,3)

((ख)

(2014) 9 एस. सी. सी. 246 (पैरा 14,18,19) मित्र गुहा बिल्डर्स (इंडिया) कंपनी बनाम। तेल और प्राकृतिक

(iii)

गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2020) 3 एस. सी. सी. 222 (पैरा 23,24,26,30)

8.12 विद्वान महान्यायवादी ने भी इस पर भरोसा किया है

दिल्ली उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों के उन मामलों में समान खंड से निपटने के निर्णयों के बाद जहां आई. ओ. सी. एल. एक पक्ष था और

जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने

स्पष्ट रूप से

खंड 9.0.1 और 9.0.2 की ही व्याख्या की गई।

((i)

चीन पेट्रोलियम पाइपलाइन ब्यूरो बनाम। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. [ARB.A। (COMM.) 35/2019, निर्णय दिनांकित

((ख)

श्रीको प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड वी. इंडियन ऑयल फाउंडेशन [एआरबी।

पीईटी। 276/2016 दिनांकित आदेश के साथ 09.01.2017 पर निर्णय लिया गया

03.07.2017]

भू-सूचना विज्ञान संस्थान (पी) लिमिटेड v. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन

(iii)

लिमिटेड [ए. आर. बी.] पीईटी। 175/2012 19.05.2015 पर तय किया गया]

((iv)

आई. ओ. टी. अवसंरचना और ऊर्जा सेवा v. इंडियन ऑयल

निगम लिमिटेड [ए. आर. बी.] पीईटी। 334/2014 तय किया कि

12.02.2015]

(v) बोंगाईगांव रिफाइनरी v. एम/एस। बिल्डवर्थ प्रा. लि.

[Arb.Appeal 10/2006 गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष]

8.13 यह प्रस्तुत किया जाता है कि चीन पेट्रोलियम पाइपलाइन ब्यूरो (ऊपर) के मामले में निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति याचिकाएं और

श्रीको प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड (ऊपर) को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

8.14 विद्वान महान्यायवादी द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी को अंतिम बिल भुगतान किया गया था और पक्षकारों के बीच एक समझ के अनुसार उसके द्वारा स्वीकार किया गया था जिसके द्वारा प्रतिवादी ने अपने अधिसूचित दावों को स्पष्ट रूप से माफ कर दिया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यस्थता खंड स्वयं खंड 6.7.1 और 6.7.1 के अधीन है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि "अधिसूचित दावों" से संबंधित खंड 6.7.2 स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि अधिसूचित दावों के संबंध में ठेकेदार द्वारा किसी भी राशि की स्वीकृति के परिणामस्वरूप ठेकेदार द्वारा अधिसूचित दावों के संबंध में दावों की पूरी और अंतिम संतुष्टि होगी और इसलिए, मध्यस्थता खंड सहित अनुबंध समाप्त और समाप्त हो जाएगा। यह खंड 6.7.2 के अनुसार ही है, इस तरह के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में ठेकेदार द्वारा लगाए गए या लगाए जाने वाले किसी भी योग्य टिप्पणी, विरोध या शर्त के बावजूद।

8.15 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन सिद्धांतों को वर्तमान में लागू करना

मामले में, एन. सी. सी. एल. का व्यक्त विवरण दिनांक 02.11.2016 होना आवश्यक है

सराहना की और/या विचार किया। एन. सी. सी. एल. के उक्त कथन के अनुसार, आई. ओ. सी. एल. (याचिकाकर्ता) ने 10 प्रतिशत के बजाय केवल 4 प्रतिशत का मूल्य समायोजन लगाया और प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से अपने अधिसूचित दावों को वापस ले लिया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. ओ. सी. एल. ने भी अंतिम बिल के अनुसार बकाया का भुगतान किया। अधिसूचित दावे, इसलिए वापस लिए जाने के बाद, मध्यस्थता के किसी भी संदर्भ का विषय नहीं हो सकते। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. सी. सी. एल. द्वारा भुगतान की गई राशि की स्वीकृति के परिणामस्वरूप इसके अंतिम विधेयक के अनुसार, और अधिसूचित दावों को वापस ले लिया गया है, और खंड 6.7.1 और 6.7.2.0 के परिणाम के अनुसार, अनुबंध, जिसमें भारतीय तेल निगम लिमिटेड v शामिल है।

एनसीसी लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.]

मध्यस्थता खंड समाप्त और समाप्त हो जाता है और इसलिए, बाद में, मध्यस्थता का कोई संदर्भ नहीं दिया जा सकता है। 8.16 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह केवल साढ़े छह महीने बाद है, 16.05.2017 पर और 8 दिन पहले 08.05.2017 पर अंतिम बिल भुगतान प्राप्त करने के बाद,

कि एन. सी. सी. एल. ने अधिसूचित दावों के संबंध में अपनी मांग वापस लेने के अपने पत्र को रद्द कर दिया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. सी. सी. एल. ने अधिसूचित दावों सहित अंतिम बिल की पूरी राशि के भुगतान की अपनी मांग वापस लेने का कारण यह है कि यदि देरी के कारण 10 प्रतिशत की कटौती की गई है, तो रु। एन. सी. सी. एल. के भुगतान से 14 करोड़ 8 लाख रुपये की कटौती की गई होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ₹1 करोड़ के अनुबंध के विरुद्ध ₹2 करोड़ प्राप्त करने के बाद, एन. सी. सी. एल. को अच्छी तरह से पता था कि ऐसी स्थिति में, उसे अंतिम बिल के विरुद्ध कोई राशि नहीं मिली होगी और इसकी बैंक गारंटी भी लागू की गई होगी। कि वास्तव में मांग को वापस लेने से, प्रतिवादी अब रु। 43 करोड़ रुपये के साथ-साथ बैंक गारंटी की वापसी। 14.8 करोड़।

8.17 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जी. सी. सी. का खंड 9.0.2 विशेष रूप से कुछ मामलों को बाहर करता है, जैसे कि संबंधित विवाद

मध्यस्थता समझौते का दायरा, अर्थात। , ((i) दावा अधिसूचित दावा है या नहीं; (ii) ठेकेदार के बिल आदि में अधिसूचित दावा शामिल है या नहीं। ; मध्यस्थता समझौते के दायरे, दायरे और दायरे से। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके उपखंड (iii) के तहत, महाप्रबंधक के निर्णय द्वारा कवर किया गया एक अधिसूचित दावा विशेष रूप से एक है

बहिष्कृत विषय। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में महाप्रबंधक ने अधिसूचित दावों के संबंध में एन. सी. सी. एल. की मांग को अस्वीकार कर दिया, विशेष रूप से 'अधिसूचित दावों' के संबंध में मांग के रूप में

एन. सी. सी. एल. द्वारा विशेष रूप से वापस ले लिया गया। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी दृष्टिकोण से देखते हुए, जहां तक एन. सी. सी. एल. का संबंध है, कोई मध्यस्थता खंड मौजूद नहीं है, उच्च न्यायालय ने पक्षों के बीच विवाद को मध्यस्थ को भेजने और मध्यस्थ की नियुक्ति करने में गंभीर त्रुटि की है। 8.18 अब, जहाँ तक अन्य चार मामलों का संबंध है, विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया है कि उन चार मामलों में दावे थे

जी. सी. सी. के खंड 9.0.2 के तहत महाप्रबंधक को संदर्भित/भेजा गया। शेष सभी मामलों में महाप्रबंधक ने घोषणा की कि एन. सी. सी. एल. का कोई भी दावा अधिसूचित दावा नहीं था। इसलिए, जो दावे महाप्रबंधक द्वारा अधिसूचित दावे नहीं पाए जाते हैं, वे मध्यस्थता योग्य नहीं हैं और मध्यस्थता समझौते के दायरे और दायरे से बाहर हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के उस दृष्टिकोण में, [2022] 13 एस. सी. आर.

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए और पारित संबंधित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाए उच्च न्यायालय द्वारा पक्षकारों के बीच विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना और एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति करना।

9. प्रतिवादी-एन. सी. सी. एल. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार द्वारा वर्तमान अपीलों का जोरदार विरोध किया जाता है।

9.1 श्री रंजीत कुमार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी-एन. सी. सी. एल. ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं जो इंगित करती हैं प्रासंगिक तथ्य जो उनके अनुसार वर्तमान अपीलों में विवाद का निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक हैं।

कि, इसमें पक्षों ने एक समझौता किया था,

(1)

जिसके तहत प्रतिवादी एन. सी. सी. एल. को सिविल, संरचनात्मक और संबंधित यू. जी. पाइपिंग को पूरा करने का काम सौंपा गया था।

पारादीप रिफाइनरी के लिए काम करता है;

(2)

आई. ओ. सी. एल. के कारण कुछ कारणों से, वहाँ एक था

कार्यों को पूरा करने में देरी;

(3)

जीसीसी के अनुसार, एनसीसीएल ने 23.05.2016 पर आवेदन किया

समय बढ़ाने और अपना अंतिम बिल 05.08.2016 पर जमा करने के लिए;

(4)

29.07.2016 पर, एन. सी. सी. एल. ने नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी किया,

हालांकि, इसने यह भी स्पष्ट किया कि उक्त प्रमाण पत्र में अंतिम बिल राशि, सेवा कर राशि और आईओसीएल से देय अधिसूचित दावे शामिल नहीं होंगे।

(5)

प्रभारी अभियंता ने 01.01.2016 दिनांकित पत्र के माध्यम से,

"अधिसूचित दावों" की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया

अंतिम विधेयक में और एन. सी. सी. एल. को ई. ओ. टी. के लिए अपने आवेदन को संसाधित करने के लिए अपने अधिसूचित दावों को वापस लेने के लिए मजबूर किया;

(6)

दबाव में, एनसीसीएल को एक पत्र जारी करने के लिए विवश किया गया था

02.11.2016 दो शर्तों पर अपने अधिसूचित दावों को वापस लेना कि ई. ओ. टी. के लिए आवेदन अनुकूल माना जाता है और मूल्य छूट 4 प्रतिशत से अधिक नहीं है। अनुबंध मूल्य;

कि, 02.11.2016 दिनांकित पत्र स्पष्ट रूप से सशर्त था

(7)

और एक प्रस्ताव की प्रकृति में था न कि स्वीकृति;

आई. ओ. सी. एल. ने एन. सी. सी. एल. को दिनांक 13.01.2017 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि

(8)

उन्होंने केवल आंशिक रूप से ई. ओ. टी. और डी. आई. ए. एन. ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए आवेदन की अनुमति दी थी।

एनसीसी लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.]

जिस अवधि के लिए ईओटी के लिए आवेदन की अनुमति नहीं थी, उस अवधि के लिए 4 प्रतिशत की मूल्य छूट लागू की गई थी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि आई. ओ. सी. एल. ने दोनों के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी

एन. सी. सी. एल. द्वारा अपने दिनांकित 02.11.2016 पत्र में बताई गई शर्तें;

कि, उपरोक्त निर्णय से व्यथित, एनसीसीएल बिना

(9)

23.01.2017 पर किसी भी देरी ने सूचित किया कि निर्णय

ई. ओ. टी. के लिए अपने आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति देना अस्वीकार्य है क्योंकि यह एन. सी. सी. एल. द्वारा दिए गए सशर्त प्रस्ताव के अनुसार नहीं है और यह भी कि देरी इसके कारण हुई थी।

आई. ओ. सी. एल. के कारण;

(10) उपरोक्त पत्र को नजरअंदाज करते हुए, आई. ओ. सी. एल. ने 08.05.2017 पर एकतरफा रूप से अंतिम बिल के खिलाफ भुगतान जारी किया।

मूल्य छूट को समायोजित करना;

(11) कि, एन. सी. सी. एल. ने 16.05.2017 यानी राशि जारी होने के 10 दिनों के भीतर आई. ओ. सी. एल. को सूचित किया कि मूल्य छूट के लिए आवेदन गलत है और इसके 'अधिसूचित दावे' अभी भी हैं।

पकड़ अच्छा है क्योंकि एन. सी. सी. एल. का सशर्त प्रस्ताव नहीं था

स्वीकार किया;

(12) चूंकि आई. ओ. सी. एल. उचित समय के भीतर उचित प्रतिक्रिया देने में बुरी तरह विफल रहा, इसलिए एन. सी. सी. एल. ने इसका आह्वान किया।

मध्यस्थता खंड अर्थात जी. सी. सी. के खंड 9.1 और आई. ओ. सी. एल. को अपने दावे प्रस्तुत किए;

(13) यह प्रस्तुत किया जाता है कि जी. सी. सी. के खंड 9.0.2 के साथ पठित खंड 9.0.1.0 के अनुसार, आई. ओ. सी. एल. को एन. सी. सी. एल. के दावों को अपने महाप्रबंधक को संदर्भित करना था और फिर महाप्रबंधक को एक घोषणा जारी करनी थी जिसके अनुसार मध्यस्थता कर सकती थी।

शुरू करें;

(14) यह प्रस्तुत किया जाता है कि चार याचिकाओं में से संबंधित दावों में, महाप्रबंधक द्वारा अत्यधिक विलंबित तरीके से निर्धारण किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 5 में से 3 याचिकाओं में, जनरल द्वारा निर्धारण

एन. सी. सी. एल. द्वारा मध्यस्थता दायर करने के बाद प्रबंधक बनाया गया था

उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएँ। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण और भ्रामक तरीके से, आई. ओ. सी. एल. ने महाप्रबंधक का संदर्भ देने का दावा किया है जिन्होंने इस न्यायालय के समक्ष एन. सी. सी. एल. द्वारा जवाबी हलफनामा दायर करने के बाद दावों की प्रकृति निर्धारित की थी।

(15) यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए आईओसीएल प्रयास कर रहा है

लगभग दो साल बाद एक दस्तावेज़ को रिकॉर्ड पर लाकर मध्यस्थता को आगे बढ़ाने के प्रत्यर्थी के संविदात्मक अधिकार को बाधित करना। प्रत्यर्थी ने मध्यस्थता खंड का आह्वान किया।

(16) यह प्रस्तुत किया जाता है कि महाप्रबंधक का निर्णय जो

एसएलपी संख्या में प्रासंगिक है। 13161 और 2019 का 13183 इस आधार पर आधारित था कि पक्षों के बीच पूर्ण और अंतिम समझौता हुआ था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि "अधिसूचित दावों" पर महाप्रबंधक का निर्णय गलत, दुर्भावनापूर्ण और

तकनीकी आधार पर, एन. सी. सी. एल. ने सही ढंग से उच्च न्यायालय से संपर्क किया दिल्ली न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति में राहत मांगी है। इसे प्रस्तुत किया जाता है।

कि इसलिए उच्च न्यायालय में पूरी तरह से उचित है मध्यस्थ की नियुक्ति।

9.2 श्री रंजीत कुमार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

एल ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेशों का समर्थन किया है

निम्नलिखित व्यापक प्रस्तुतियाँः

(1) दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार,

महाप्रबंधक को यह तय करने की अनुमति नहीं है कि क्या कोई दावा है

सहमति और संतुष्टि होने के कारण वर्जित या

दावा एक अपवादित दावा है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6-ए) के तहत, चरण में

(2)

मध्यस्थ की नियुक्ति, हस्तक्षेप का दायरा

न्यायालयों द्वारा अस्तित्व की जांच तक सीमित है

एक मध्यस्थता समझौता। मध्यस्थ की नियुक्ति के चरण में, न्यायालय

(3)

यह नहीं देख सकते कि क्या समझौता हुआ है और पक्षों के बीच संतुष्टि

मध्यस्थ की नियुक्ति के स्तर पर, न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता है

(4)

इस बात पर गौर करें कि क्या कोई दावा एक अपवादात्मक दावा है या नहीं। संविदात्मक खंडों को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है कि

(5)

वैधानिक अधिकारों और पारस्परिकता के सिद्धांत को कम करता है, ताकि किसी एक पक्ष को विवाद की मध्यस्थता को एकतरफा रूप से निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की जा सके।

चुनाव के सिद्धांत के अनुसार, वर्तमान कार्यवाही

(6)

बर्खास्त किया जाना चाहिए क्योंकि आई. ओ. सी. एल. ने एक धारा 16 (2) और 16 (5) के तहत आवेदन

मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अधिकारिता।

9.3 जी. सी. सी. के खंडों की व्याख्या पर, प्रतिवादी एन. सी. सी. एल. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार ने कहा,

उन्होंने प्रस्तुत किया है कि जी. सी. सी. के प्रासंगिक खंडों के एक नंगे अवलोकन से यह संकेत मिलेगा कि आई. ओ. सी. एल. के महाप्रबंधक को न तो यह जांचने का अधिकार है कि क्या "अधिसूचित दावा" एक "अपवादात्मक दावा" है और न ही वह इस मुद्दे पर गौर कर सकते हैं कि क्या पक्षों के बीच सहमति और संतुष्टि है।

9.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि खंड 9.0.1 खंड 6.7.1.1,6.7.1 और 9.0.1 के अधीन है। इसके अलावा, खंड 9.0.2 एक ऐसा तंत्र बनाता है जिसके द्वारा

आई. ओ. सी. एल. के पास अपने महाप्रबंधक को यह प्रमाणित करने की बेलगाम शक्ति है कि क्या कोई दावा मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है। आई. ओ. सी. एल. के अनुसार उक्त खंड, दावों की मध्यस्थता तय करने का एकमात्र विवेक महाप्रबंधक पर निहित करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इस प्रकार, आई. ओ. सी. एल. द्वारा सुझाए गए खंड की व्याख्या, न केवल मध्यस्थता पर निर्णय लेने की मध्यस्थ की शक्ति का, बल्कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत न्यायालय की शक्ति का भी अपमान है।

9.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त खंड इंगित करेगा कि महाप्रबंधक को केवल यह देखना है कि क्या दावा द्वारा उठाया गया है

प्रत्यर्थी (i) खंड 1.21.0 आर/डब्ल्यू के तहत परिभाषित एक अधिसूचित दावा है। खंड 6.6.1 और (ii) क्या अधिसूचित दावा खंड 6.6.3.0 के अनुसार अंतिम विधेयक में शामिल किया गया है। कि महाप्रबंधक को उक्त खंड के तहत यह कहने का अधिकार नहीं है कि कोई दावा नहीं है

दावा एक अपवादित दावा है। 9.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, आई. ओ. सी. एल. ने स्वीकार किया है कि प्रतिवादी द्वारा उठाए गए दावे 'अधिसूचित दावे' हैं और यह

आई. ओ. सी. एल. या इसके महाप्रबंधक ने इस तथ्य पर कभी विवाद नहीं किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दूसरी शर्त भी पूरी की जाती है क्योंकि प्रतिवादी के अंतिम बिल में उसके अधिसूचित दावे शामिल होते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार एकमात्र तार्किक निष्कर्ष जो निम्नलिखित है वह यह है कि प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए अधिसूचित दावों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए था। हालाँकि, आई. ओ. सी. एल. के महाप्रबंधक ने दो मामलों में, इस आधार पर मध्यस्थता के लिए अधिसूचित दावों को संदर्भित करने से इनकार कर दिया कि पक्षों के बीच पूर्ण और अंतिम समझौता हुआ था, और अन्य तीन मामलों में महाप्रबंधक ने इस आधार पर मध्यस्थता के लिए अधिसूचित दावों को संदर्भित करने से इनकार कर दिया है कि वे 'अपवादात्मक दावे' हैं।

9.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जी. सी. सी. के अनुसार, महाप्रबंधक [2022] 13 एस. सी. आर. पर मध्यस्थता के लिए एक अधिसूचित दावे के संदर्भ का विरोध करने का हकदार नहीं है।

सहमति और संतुष्टि का आधार। कि पक्षकारों के बीच पूर्ण और अंतिम समझौते से संबंधित पहलू खंड 6.7.1 और 6.7.2 का हिस्सा है, न कि खंड 9.0.2 का। वास्तव में, खंड 6.7.1 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि अंतिम बिल के तहत राशियों के भुगतान पर, अंतिम बिल में शामिल ठेकेदार के अधिसूचित दावों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, पूर्ण और अंतिम निपटान होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, 08.05.2017 पर धन के भुगतान के बाद भी, अधिसूचित दावों का न तो निपटारा किया जाता है और न ही अधिसूचित दावों के संबंध में पूर्ण और अंतिम निपटान होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक 'अपवादित दावों' का संबंध है, खंड 9.0.2 के अनुसार, एक बार जब महाप्रबंधक इस निर्णय पर पहुंच जाता है कि कोई दावा एक अधिसूचित दावा है और उसे अंतिम विधेयक में शामिल किया जाता है, तो वह दावे को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए महाप्रबंधक द्वारा दिए गए निर्णय के पीछे तर्क कि दावे अधिसूचित दावे नहीं हैं, न केवल अस्थिर है, बल्कि खंड 9.0.2 के विपरीत भी है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि खंड 9.0.2 महाप्रबंधक के निर्णय को अंतिम नहीं बनाता है।

9.8 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि संशोधन अधिनियम, 2015 के अनुसार, धारा 11 (6-ए) को जोड़ा गया है, जिसके आधार पर धारा 11 के चरण में हस्तक्षेप का दायरा बहुत संकीर्ण है। रिलायंस को रखा गया है

ड्यूरो फेलगुएरा एस. ए. बनाम के मामले में इस न्यायालय का निर्णय। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड [(2017) 9 एससीसी 729]। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 11 (6-ए) को शामिल करने के बाद, मध्यस्थ की नियुक्ति के चरण में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का दायरा कम हो जाता है और न्यायालयों को अब केवल एक वैध मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच करनी पड़ सकती है। कि उपरोक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विधायी उद्देश्य अनिवार्य रूप से मध्यस्थ की नियुक्ति के स्तर पर न्यायालय के हस्तक्षेप को कम करना है और धारा 11 (6-ए) में शामिल इरादे का सम्मान किया जाना चाहिए।

9.9 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त बाध्यकारी निर्णय के बावजूद, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में बाद के निर्णय में।

वी. एंटीक आर्ट एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड [(2019) 5 एस. सी. सी. 362], इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने यह विचार रखा कि एक बार दावे का निपटारा हो जाने के बाद, यह मध्यस्थ को भेजे जाने वाले समझौते के तहत कोई मध्यस्थ विवाद नहीं छोड़ता है।

9.10 यह प्रस्तुत किया जाता है कि परस्पर विरोधी निर्णयों पर विचार किया गया था और इस मुद्दे को अब इसके तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुलझा लिया गया है। मायावती ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम के मामले में दिए गए बाद के निर्णय में न्यायालय। प्रद्युत देब बर्मन [(2019) 8 एससीसी 714]।

कि 246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट; भारत में मध्यस्थता के संस्थागतकरण के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट और 2015 के संशोधन विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर विस्तार से विचार करने के बाद, यह माना जाता है कि 2015 के बाद, मध्यस्थ की नियुक्ति के स्तर पर न्यायालयों की शक्तियों का दायरा निम्नलिखित तक सीमित है -

मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मायावती ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का बाद में इस न्यायालय ने विद्या द्रोलिया (उपर्युक्त) के मामले में हाल के एक निर्णय में पालन किया है। 9.11 प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार ने भी मध्यस्थता अधिनियम-2015 के बाद की धारा 11 (6-ए) के आवेदन पर विचार करते हुए धारा 11 (6 ए) की प्रयोज्यता और न्यायालयों के बहुत सीमित अधिकार क्षेत्र के अपने प्रस्तुतिकरणों के समर्थन में इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है।

(1)

उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड बनाम। उत्तरी कोल फील्ड लिमिटेड

(2020) 2 एससीसी 455

(2)

(2021) 5 एस. सी. सी. 738

प्रवीण इलेक्ट्रिकल्स (पी) लिमिटेड बनाम गैलेक्सी इन्फ्रा एंड इंग. (पी)

(3)

लि.

(2021) 5 एस. सी. सी. 671

(4)

संजीव प्रकाश बनाम. सीमा कुकरेजा

(2021) 9 एस. सी. सी. 732

9.12 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि मध्यस्थता अधिनियम में 2019 के संशोधन ने धारा 11 (6-ए) को हटा दिया है, लेकिन विद्या द्रोलिया (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सम्मिलन के पीछे का तर्क मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6-ए) का पहला चरण, यानी मध्यस्थता से पहले के चरण में न्यायालयों को अपनी अधिकारिता के दायरे पर लागू करना और मार्गदर्शन करना जारी रखेगा।

9.13 प्रतिवादी एन. सी. सी. एल. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा विद्या द्रोलिया (उपर्युक्त) के मामले के साथ-साथ स्विस टाइमिंग

लिमिटेड बनाम के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2010 आयोजन समिति [(2014) 6

एस. सी. सी. 677], एक न्यायालय की भूमिका मध्यस्थता और [2022] 13 एस. सी. आर. की सहायता और समर्थन करना है।

निर्णय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ दें। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 11 के तहत दायर एक आवेदन के चरण में, न्यायालय को केवल यह देखना चाहिए कि क्या एक वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए मध्यस्थ की नियुक्ति के चरण में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का दायरा प्रतिबंधित है और यह न तो जांच कर सकता है कि क्या कुछ दावे 'अपवादात्मक' हैं और न ही यह कर सकता है। इस मुद्दे पर गौर करें कि क्या "सहमति और संतुष्टि" है।

9.14 प्रतिवादी एन. सी. सी. एल. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहां दावे खारिज किए जाते हैं

महाप्रबंधक इस आधार पर कि पक्षों के बीच "सहमति और संतुष्टि" थी और इसलिए, मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं है, तत्काल मामले में प्रतिवादी ने अंतिम बिल के भुगतान से पहले ही "सहमति और संतुष्टि" पर याचिकाकर्ता के तर्क पर विवाद किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए यह मुद्दा कि क्या पक्षों के बीच "समझौता और संतुष्टि" मौजूद है, आभासी प्रकृति का है और इसकी जांच के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा साक्ष्य के विस्तृत अवलोकन की आवश्यकता होगी। कि किसी भी स्थिति में, धारा 11 (6 ए) की शुरूआत के अनुसार, न्यायालय को खुद को अस्तित्व के मुद्दे तक सीमित रखना होगा

धारा 11 के स्तर पर मध्यस्थता समझौता और "समझौते और संतुष्टि" के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है।

9.15 अम्बिका के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए

निर्माण वी। भारत संघ ने (2006) 13 एस. सी. सी. 475 और आर. एल. कलाथिया एंड कंपनी बनाम में रिपोर्ट की। (2011) 2 एस. सी. सी. में सूचित गुजरात राज्य

400 , यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त दो निर्णयों में देखा गया है, कई मामलों में, ठेकेदारों को बकाया प्रमाणपत्र जारी करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके बिना कोई राशि जारी नहीं की जाएगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय में यह देखा गया है कि केवल इसलिए कि ठेकेदार ने "नो ड्यूज सर्टिफिकेट" जारी किया है, यदि कोई स्वीकार्य दावा है, तो न्यायालय "नो ड्यूज सर्टिफिकेट" जारी करने के आधार पर इसे अस्वीकार नहीं कर सकता है।

9.16 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह प्रश्न कि क्या एक अधिसूचित दावा एक 'अपवादित दावा' है, इसके अनन्य क्षेत्र के भीतर है

मध्यस्थ को जवाब दिया जाना है। रिलायंस को बी. एस. एन. एल. बनाम के मामले में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है। मोटोरोला इंडिया (पी) लिमिटेड ने (2009) 2 एस. सी. सी. 337 और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम. बोघारा पॉलीफैब प्रा. लिमिटेड ने (2009) 1 एस. सी. सी. 267 (मध्यस्थता अधिनियम में 2015 के संशोधन से पहले भी) के साथ-साथ ज़ोस्टेल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.

एनसीसी लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.]

आतिथ्य (पी) लिमिटेड बनाम ओरावेल स्टेज़ (पी) लिमिटेड ने (2021) 9 एस. सी. सी. 765 में रिपोर्ट किया।

9.17 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 स्पष्ट रूप से न्यायालयों को अस्तित्व निर्धारित करने की शक्तियां प्रदान करती है - एक मध्यस्थता समझौता और बाद में एक मध्यस्थ नियुक्त करें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 8 न्यायालयों और न्यायिक अधिकारियों को मध्यस्थता होने पर पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की शक्ति प्रदान करती है।

समझौता। इसी तरह, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 स्पष्ट रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र के खिलाफ उठाई गई किसी भी आपत्ति पर निर्णय लेने का अधिकार देती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए जी. सी. सी. के खंड 9.0.2 की याचिकाकर्ता की व्याख्या इसके महाप्रबंधक के निर्धारण की कथित अंतिमता, धारा 8 और 11 के तहत निहित न्यायालयों की वैधानिक शक्तियों और धारा 16 के तहत निहित मध्यस्थ न्यायाधिकरण की वैधानिक शक्ति को हड़पने का प्रयास करती है। 9.18 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक अन्य चार याचिकाओं (प्रमुख मामले को छोड़कर) में संबंधित दावों का संबंध है, निर्धारण अत्यधिक देरी के बाद किया गया था। कि 5 में से 3 याचिकाओं में, महाप्रबंधक द्वारा निर्णय प्रतिवादी द्वारा दायर करने के बाद किया गया था

उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता याचिकाएँ। कि एसएलपी No.13408/2019 में, उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता याचिका दायर होने तक महाप्रबंधक का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था। कि इसलिए उपरोक्त चार एसएलपी में महाप्रबंधक का निर्णय अप्रभावी है क्योंकि दावा प्रस्तुत किए जाने के तीस दिन बाद ही नहीं, बल्कि उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता याचिकाएं दायर किए जाने के बाद भी निर्धारण किया गया है। दातार स्विचगियर्स लिमिटेड बनाम के मामले में रिलायंस को इस न्यायालय के फैसलों पर रखा गया है। टाटा फाइनेंस लिमिटेड ने (2000) 8 एस. सी. सी. 151 (पारस 18 और 19) में सूचना दी।

9.19 प्रतिवादी-एन. सी. सी. एल. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार आगे यह प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामले में,

याचिकाकर्ता ने 10.06.2019 पर मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 (2) और 16 (5) के तहत मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए एक आवेदन दायर किया था, जो वर्तमान याचिका दायर करने के बाद और इस अदालत द्वारा नोटिस जारी करने से पहले है।

03.07.2019 . कि याचिकाकर्ता ने इसका खुलासा नहीं किया है और एक साथ दो उपायों को आगे बढ़ाने के इस तथ्य को दबा दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए याचिकाकर्ता ने आगे बढ़ने के लिए चुना है मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही और चुनाव के सिद्धांत के अनुसार [2022] 13 एस. सी. आर.

उपायक लेल याचिकाकर्ता कैं एहि न्यायालयक समक्ष वर्तमान कार्यवाही जारी रखबाक अनुमति नहि देल जयबाक चाही।

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है

अपीलें करें।

10. हमने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं को संबंधित पक्षों की ओर से विस्तार से उपस्थित होते सुना है। 10.1 विवादित आदेशों द्वारा उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित अनुबंधों से उत्पन्न पक्षों के बीच विवादों का निर्णय लेने और उन्हें हल करने के लिए मध्यस्थों को नियुक्त किया है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आवेदनों में मध्यस्थ की नियुक्ति करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित संबंधित आदेश वर्तमान अपीलों का विषय हैं।

10.2 यह विवादित नहीं हो सकता कि दोनों पक्ष जी. सी. सी. द्वारा शासित हैं। जी. सी. सी. दोनों के बीच हुए समझौतों/अनुबंधों का हिस्सा है। दलों को। जी. सी. सी. के तहत, पक्षकार अपने बीच के विवाद को केवल ऊपर निर्दिष्ट जी. सी. सी. के प्रासंगिक खंडों के संदर्भ में हल करने पर सहमत हुए हैं। पक्षकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि केवल कुछ निर्दिष्ट विवाद ही मध्यस्थता का विषय होंगे।

10.3 नरभेरम पावर एंड स्टील (पी) लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में, यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि पक्ष खंडों से बाध्य हैं।

नीति में उल्लिखित है और न्यायालय एक खंड को फिर से लिखकर किसी भी इक्विटी को उसी में स्थानांतरित नहीं करता है। यह आगे देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि एक मध्यस्थता खंड का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना आवश्यक है। खंड में किसी भी अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से मध्यस्थता के इरादे को व्यक्त करना चाहिए। यह उस अभिधारणा को भी निर्धारित कर सकता है जिसमें मध्यस्थता खंड को प्रभावी नहीं किया जा सकता है। यह आगे देखा गया है कि यदि कोई खंड यह निर्धारित करता है कि कुछ परिस्थितियों में कोई मध्यस्थता नहीं हो सकती है और वे स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैं तो मध्यस्थ की नियुक्ति से संबंधित विवाद को शांत करना होगा (अनुच्छेद 10-23)। 10.4 सेन्ट्रोट्रेड मिनरल्स एंड मेटल इंक. (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय को पार्टी की स्वायत्तता की अवधारणा पर विचार करने का अवसर मिला था।

और यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि पक्ष की स्वायत्तता वस्तुतः मध्यस्थता की रीढ़ है। यह आगे देखा और माना जाता है कि पार्टी की स्वायत्तता

मध्यस्थता में विचारशील और मार्गदर्शक भावना, पक्ष अपने पूरे अनुबंध को नियंत्रित करने वाले तीन अलग-अलग कानूनों के अनुप्रयोग पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं-(1) अनुबंध का उचित कानून; (2) मध्यस्थता समझौते का उचित कानून और (3) मध्यस्थता के संचालन का उचित कानून।

यह आगे भारतीय तेल निगम लिमिटेड v में देखा गया है। एनसीसी लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.]

उक्त निर्णय कि मध्यस्थता समझौते के पक्षों को न केवल अनुसरण किए जाने वाले प्रक्रियात्मक कानून पर निर्णय लेने की स्वायत्तता है, बल्कि

मूल कानून भी। अधिकार क्षेत्र का चुनाव भी अनुबंध करने वाले पक्षों पर छोड़ दिया जाता है। 10.5 डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड और ए. एन. आर. के मामले में। वी. निदेशक, नगर और देश योजना विभाग, हरियाणा और अन्य। [(2010) 14 एस. सी. सी. 1], यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि अनुबंध की व्याख्या उसके उद्देश्य के अनुसार की जानी है। एक अनुबंध का उद्देश्य ब्याज है,

उद्देश्य, मूल्य, नीति जिसे अनुबंध को वास्तविक बनाने के लिए बनाया गया है। इसमें दलों का संयुक्त इरादा शामिल है। यह देखा गया है कि यह किसी एक पक्ष का इरादा नहीं है; यह दोनों पक्षों का संयुक्त इरादा है और पक्षों का संयुक्त इरादा अनुबंध की संपूर्णता और इसके गठन के आसपास की परिस्थितियों से पता लगाया जाना है (पैरा 13)।

10.6 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम और अन्न के मामले में। वी. हीरा और रत्न

विकास निगम लिमिटेड और ए. एन. आर. [(2013) 5 एस. सी. सी. 470], यह देखा गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पक्ष अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत आने वाली चीज़ों से अधिक कुछ भी दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि अनुबंध दो पक्षों के बीच एक लेन-देन है और इसे खुली आँखों से और अनुबंध की प्रकृति को समझकर किया गया है। यह आगे देखा जाता है

कि इस प्रकार अनुबंध दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक समझौते का एक प्राणी होने के नाते शाब्दिक अर्थ देते हुए व्याख्या की जानी चाहिए जब तक कि उसमें कुछ अस्पष्टता न हो। अनुबंध की व्याख्या अनुबंध में निहित शब्दों को वास्तविक अर्थ देते हुए की जानी चाहिए और न्यायालय के लिए एक नया अनुबंध करने की अनुमति नहीं है, चाहे वह कितना भी उचित क्यों न हो, यदि पक्षों ने इसे स्वयं नहीं किया है। यह आगे देखा गया है कि अनुबंध की शर्तों को अनुबंध की प्रकृति में बदलाव किए बिना सख्ती से समझा जाना चाहिए क्योंकि यह किसी भी पक्ष के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है (पैरा 23)।

10.7 मित्र गुहा बिल्डर्स (इंडिया) कंपनी (उपरोक्त) के मामले में,

उस खंड की व्याख्या करते हुए जिसके द्वारा पक्षकार इस बात पर सहमत हुए कि क्षतिपूर्ति वसूलने में अधीक्षण अभियंता का निर्णय अंतिम है और यह एक 'अपवादात्मक मामला' है और इसका निर्धारण केवल अधीक्षण अभियंता द्वारा किया जाएगा और उसके निर्णय की शुद्धता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

मध्यस्थता कार्यवाही में प्रश्नगत और उपचार, यदि कोई हो, कानून के सामान्य पाठ्यक्रम में उत्पन्न होगा, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे पर पहले के फैसलों का उल्लेख करने और उन पर विचार करने के बाद कहा और कहा कि एक बार जब पक्षकारों ने निर्णय ले लिया है कि कुछ मामले [2022] 13 एस. सी. आर.

अधीक्षण अभियंता द्वारा निर्णय लिया जाना है और उसका निर्णय अंतिम होगा, यह मध्यस्थता का विषय नहीं हो सकता है।

10.8 हर्ष निर्माण (ऊपर) के मामले में, व्याख्या करते हुए

समझौते का वह खंड जिसके द्वारा कुछ विवाद विशेष रूप से मध्यस्थ नहीं थे और उक्त विवादों के संबंध में ठेकेदार को संबंधित इंजीनियर के साथ बातचीत करनी थी और यदि ठेकेदार इंजीनियर द्वारा निर्धारित दर से संतुष्ट नहीं था, तो ठेकेदार को उक्त खंड में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक था और इस संबंध में, पैरा 18 और 19 में, यह निम्नानुसार देखा और अभिनिर्धारित किया गया है:

" 18. मध्यस्थता एक अनुबंध से उत्पन्न होती है और जब तक कि एक विशिष्ट लिखित अनुबंध नहीं होता है, मध्यस्थता के संबंध में एक अनुबंध की कल्पना नहीं की जा सकती है। अधिनियम की धारा 7 (3) स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है कि मध्यस्थता के संबंध में अनुबंध लिखित रूप में होना चाहिए। इस प्रकार, जहां तक अनुबंध के खंड 39 में निर्दिष्ट विवादों का संबंध है, मध्यस्थ के लिए उक्त विवादों पर मध्यस्थता करने के लिए खुला नहीं था क्योंकि

यह एक विशिष्ट खंड था जिसके तहत उक्त विवादों को "अपवाद" किया गया था। इसके अलावा, जब कानून विशेष रूप से किसी विशेष तरीके से अनुबंध के गठन के संबंध में कोई प्रावधान करता है, तो अनुबंध के संबंध में कोई धारणा नहीं हो सकती है यदि अनुबंध इस तरीके से नहीं किया गया है।

अधिनियम के तहत निर्धारित।

19. यदि किसी गैर-मध्यस्थ विवाद को मध्यस्थ के पास भेजा जाता है और भले ही मध्यस्थ द्वारा ऐसे विवाद के संबंध में कोई मुद्दा तैयार किया गया हो, हमारी राय में, इस आशय का कोई अनुमान या निष्कर्ष नहीं हो सकता है कि पक्षकार इस मुद्दे को मध्यस्थ के पास भेजने के लिए सहमत हुए थे। तत्काल मामले में, प्रत्यर्थी अधिकारियों ने संबंधित आपत्ति उठाई थी मध्यस्थ के समक्ष विवादित मुद्दे की मध्यस्थता और फिर भी मध्यस्थ ने उक्त "अपवादात्मक" विवाद पर अपना निर्णय दिया था। हमारी राय में, मध्यस्थ नहीं कर सका

उक्त "अपवादित" विवाद का फैसला किया है। इसलिए हमारा मानना है कि मध्यस्थ के पास मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं था

जो मध्यस्थ नहीं थे और अधिनिर्णय, जहाँ तक यह गैर-मध्यस्थ विवादों के संबंध में विवादों से संबंधित है,

यह कानून की दृष्टि से खराब है और इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

10.9 इस स्तर पर, विद्या द्रोलिया (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय का एक हालिया निर्णय, जो धारा 11 (6 भारतीय तेल निगम लिमिटेड v.

ए) मध्यस्थता अधिनियम का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। उक्त निर्णय में यह देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी विवाद की गैर-मध्यस्थता का मुद्दा है -

मध्यस्थता के लिए बुनियादी क्योंकि यह मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण में कई कारणों से अधिकार क्षेत्र की कमी हो सकती है और गैर-मध्यस्थता के कई अर्थ हो सकते हैं। बूज़ ऐलन एंड हैमिल्टन इंक. बनाम के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय का उल्लेख करने के बाद। एस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड [(2011) 5 एस. सी. सी. 532 (पैरा 34)], यह देखा और माना जाता है कि गैर-मध्यस्थता के पहलू हैं, अर्थात्

" ((i) क्या विवाद मध्यस्थता द्वारा निर्णय लेने और निपटाने में सक्षम हैं? अर्थात्, क्या विवादों को उनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पक्षों (मध्यस्थ न्यायाधिकरण) द्वारा चुने गए एक निजी मंच द्वारा हल किया जा सकता है या क्या वे विशेष रूप से सार्वजनिक मंचों (अदालतों) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
((ii) क्या विवाद मध्यस्थता समझौते के दायरे में आते हैं? अर्थात्, क्या विवादों को मध्यस्थता समझौते में मध्यस्थता द्वारा तय किए जाने वाले मामलों के रूप में गिना या वर्णित किया गया है या क्या विवाद "अपवादित" के अंतर्गत आते हैं।

मध्यस्थता के दायरे से बाहर रखे गए मामले

समझौता।

((iii) क्या पक्षों ने विवादों को संदर्भित किया है मध्यस्थता? अर्थात्, क्या विवाद इस दायरे में आते हैं

माध्यस्थम न्यायाधिकरण को प्रस्तुत करने का, या क्या वे माध्यस्थम न्यायाधिकरण के समक्ष दायर दावे के बयान और प्रतिवाद से उत्पन्न नहीं होते हैं। कोई विवाद, भले ही वह मध्यस्थता द्वारा निर्णय लेने में सक्षम हो और मध्यस्थता समझौते के दायरे में आता हो, "मध्यस्थता योग्य" नहीं होगा यदि इसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित विवादों की संयुक्त सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, या विवादों की ऐसी संयुक्त सूची के अभाव में, मध्यस्थता के समक्ष अभिवचनों में उठाए गए विवादों का हिस्सा नहीं है।

न्यायाधिकरण "।

इस मुद्दे पर पहले के निर्णयों का उल्लेख करने और विस्तार से विचार करने के बाद, विशेष रूप से, गैर-मध्यस्थता के संबंध में और

' 'मामलों को छोड़कर, यह अंततः पैरा 76 में निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला गया हैः

" 76. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम यह निर्धारित करने के लिए चार गुना परीक्षण का प्रस्ताव करना चाहेंगे कि विषय कब है। मध्यस्थता समझौते में विवाद का मामला मध्यस्थता योग्य नहीं हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

76.1 . (1) जब कार्रवाई का कारण और विवाद का विषय रेम में कार्रवाई से संबंधित होता है, जो इससे संबंधित नहीं होता है - व्यक्ति में अधीनस्थ अधिकार जो रेम में अधिकारों से उत्पन्न होते हैं।

76.2 . (2) जब कार्रवाई का कारण और विवाद का विषय-वस्तु तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करता है, तो इसका सर्वव्यापी प्रभाव पड़ता है।

केंद्रीकृत निर्णय की आवश्यकता होती है, और पारस्परिक निर्णय उचित और प्रवर्तनीय नहीं होगा;

76.3 . (3) जब कार्रवाई का कारण और विवाद का विषय अपरिहार्य संप्रभु और सार्वजनिक हित से संबंधित होता है

76.6 हालाँकि, उपरोक्त सिद्धांतों को सावधानी और सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए जैसा कि ओलंपस सुपरस्ट्रक्चर्स में देखा गया है (पी) लिमिटेड : (एस. सी. सी पी. 669, पैरा 35)

" 35. ..... सार्वजनिक प्रकृति के आपराधिक अपराधों, अवैध समझौतों से उत्पन्न होने वाले विवादों और स्थिति से संबंधित विवादों, जैसे तलाक, जिन्हें मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है, जैसे कुछ विवादों के लिए वहां संदर्भ दिया जाता है। हालाँकि, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी आपराधिक मामले, जैसे कि शारीरिक चोट से संबंधित तथ्यों के संबंध में, यदि व्यक्तिगत चोट के लिए हर्जाने का अधिकार है, तो ऐसे विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जा सकता है (कीर बनाम। लीमैन)। इसी तरह, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पति और एक पत्नी मध्यस्थता के लिए उन शर्तों का उल्लेख कर सकते हैं जिन पर वे अलग होंगे, क्योंकि वे उस मामले पर अपने बीच एक वैध समझौता कर सकते हैं (सॉइलक्स V. हर्बस्ट, विल्सन बनाम। विल्सन और काहिल बनाम।

काहिल) "। भारतीय तेल निगम लिमिटेड v. एनसीसी लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.]

10.10 इस प्रश्न पर, विवाद की गैर-मध्यस्थता पर कौन निर्णय लेता है, पहले के निर्णयों का उल्लेख करने और उन पर विचार करने के बाद विशेष रूप से, गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड (ऊपर) के मामले में निर्णय; हुंडई इंग। & कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड (ऊपर) और नरभेरम पावर एंड स्टील (पी) लिमिटेड (ऊपर), यह देखा गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जांच से संबंधित गैर-मध्यस्थता का प्रश्न, क्या विवाद मध्यस्थता खंड द्वारा शासित था, अदालतों द्वारा जांचा जा सकता है।

संदर्भ स्तर पर ही और अनुत्तरित नहीं छोड़ा जा सकता है,

मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा जांच की गई और निर्णय लिया गया। इसके बाद, पैरा 153 में, यह देखा गया और अभिनिर्धारित किया गया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 में "मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व" अभिव्यक्ति में मध्यस्थता समझौते की वैधता का पहलू शामिल होगा, हालांकि न्यायालय संदर्भ स्तर पर प्रथम दृष्टया परीक्षण लागू करेगा। यह भी देखा गया है कि

बहस योग्य और विवादास्पद तथ्यों के मामले और उचित रूप से तर्क योग्य मामला आदि, न्यायालय पक्षों को मध्यस्थता समझौते का पालन करने के लिए मजबूर करेगा क्योंकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास प्राथमिक अधिकार क्षेत्र है और अधिकारिता और गैर-मध्यस्थता के प्रश्न सहित विवादों को तय करने का अधिकार। अंततः पैरा 154 में, विधि के प्रस्ताव को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया हैः

" 154. 'कौन फैसला करता है' शीर्षक के तहत चर्चा

मध्यस्थता? ' निम्नानुसार क्रिस्टलीकृत किया जा सकता हैः

154.1 . पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड में निर्णय का अनुपात।

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 या 11 के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय अदालत द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे में, 2016 के अधिनियम 3 द्वारा संशोधनों के बाद (23-10-2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ) और यहां तक कि 2019 के अधिनियम 33 द्वारा संशोधनों के बाद (9-8-2019 से प्रभावी), अब लागू नहीं है।

154.2 . मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 के तहत न्यायिक समीक्षा और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का दायरा समान है।

लेकिन बेहद सीमित और प्रतिबंधित।

154.3 . 2016 के अधिनियम 3 और 2016 के अधिनियम 33 से स्पष्ट विधायी जनादेश को देखते हुए सामान्य नियम और सिद्धांत 2019 , और पृथकता और क्षमता क्षमता का सिद्धांत यह है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण गैर-मध्यस्थता के सभी प्रश्नों को निर्धारित करने और निर्णय लेने के लिए पसंदीदा पहला प्राधिकरण है।

निष्पक्षता। न्यायालय को [2022] 13 एस. सी. आर. के संदर्भ में निर्णय के बाद गैर-मध्यस्थता के पहलुओं पर "दूसरी बार देखने" की शक्ति प्रदान की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 34 (2) (ए) के उपखंड (i), (ii) या (iv) या उपखंड (i)

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (2) (बी)।

154.3 . शायद ही कभी एक डिमरर के रूप में अदालत हस्तक्षेप कर सकती है

धारा 8 या 11 चरण जब यह स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से होता है

यह सुनिश्चित करना कि मध्यस्थता समझौता अस्तित्वहीन, अमान्य है।

या विवाद गैर-मध्यस्थ हैं, हालांकि प्रकृति और पहलू गैर-मध्यस्थता, कुछ हद तक, स्तर निर्धारित करेगी

और न्यायिक जांच की प्रकृति। प्रतिबंधित और सीमित समीक्षा

पक्षकारों को मध्यस्थता करने के लिए मजबूर होने से रोकने के लिए है

जब मामला स्पष्ट रूप से "गैर-मध्यस्थ" हो और इसमें कटौती की जाए

जब गैर-मध्यस्थता से संबंधित विवाद स्पष्ट रूप से होते हैं तर्क योग्य; जब संक्षिप्त कार्यवाहियों में विचार किया जाएगा

अपर्याप्त और अनिर्णायक होना; जब तथ्यों का विरोध किया जाता है; जब

मध्यस्थता का विरोध करने वाला पक्ष देरी करने की रणनीति या खामियां अपनाता है

मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन। यह मंच नहीं है

मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अधिकारिता को हड़पना लेकिन पुष्टि करना और एक विकल्प के रूप में मध्यस्थता की अखंडता और प्रभावकारिता को बनाए रखें

विवाद समाधान तंत्र "।

10.11 डी. एल. एफ. के मामले में इस अदालत के हालिया फैसले में

होम डेवलपर्स लिमिटेड v. राजापुरा होम्स प्राइवेट लिमिटेड

और एक अन्य [2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 781] जिसमें इस न्यायालय को भी मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6-ए) पर विचार करने का अवसर मिला था और अंततः विद्या द्रोलिया (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय का उल्लेख करने और उस पर विचार करने के बाद यह टिप्पणी की है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र मुख्य रूप से यह पता लगाने के लिए है कि क्या विवाद के समाधान के लिए पक्षों के बीच एक लिखित समझौता मौजूद है और क्या पीड़ित पक्ष ने प्रथम दृष्टया एक तर्कपूर्ण मामला बनाया है, यह आगे देखा गया है कि

सीमित अधिकार क्षेत्र, हालांकि, गतिरोध को कम करने के लिए एक मध्यस्थता खंड के अस्तित्व से परे देखने के लिए अपने न्यायिक कार्य के न्यायालय को अस्वीकार नहीं करता है। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने विद्या द्रोलिया (उपरोक्त) के मामले में की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया था कि सार्वजनिक और निजी संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए, न्यायालय किसी भी तुच्छ या परेशान करने वाले दावों को समाप्त करने के लिए संदर्भ के स्तर पर 'प्रथम दृष्टया समीक्षा' कर सकता है।

10.12 नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट के मामले में। लिमिटेड (ऊपर), इस न्यायालय को विद्या के मामले में निर्णय पर विचार करने का अवसर मिला था। द्रोलिया (ऊपर) और पैरा 46,47 और 53.2 में, इसे निम्नानुसार देखा और माना जाता है:

" 46. विद्या द्रोलिया में निर्णय का परिणाम [विद्या द्रोलिया बनाम। दुर्गा कॉर्प. , (2021) 2 एससीसी 1: (2021) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 549]

ड्यूरो फेलगुएरा में व्याख्या की गई कानून की स्थिति की पुष्टि

[ड्यूरो फेलगुएरा, एस. ए. बनाम। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड (2017) 9 एस. सी. सी.

729 : (2017) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 764] और मायावती ट्रेडिंग

पटेल एंग। लिमिटेड (2005) 8 एस. सी. सी. 618]। 47. यह केवल बहुत ही सीमित श्रेणी के मामलों में है, जहां इस बात में संदेह का कोई निशान भी नहीं है कि दावा प्रत्यक्ष रूप से समय-वर्जित है, कि विवाद गैर-मध्यस्थ है, कि अदालत संदर्भ देने से इनकार कर सकती है। हालाँकि, यदि थोड़ा सा भी संदेह है, तो नियम यह है कि विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए, अन्यथा यह अनिवार्य रूप से न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मामले का अतिक्रमण करेगा।

53.2 . दुर्लभ और असाधारण मामलों में, जहां दावे प्रत्यक्ष रूप से समय-वर्जित हैं, और यह स्पष्ट है कि कोई विवाद नहीं है,

न्यायालय संदर्भ देने से इनकार कर सकता है।

11. उपरोक्त में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना

निर्णय, आइए हम पक्षों को नियंत्रित करने वाले जी. सी. सी. के प्रासंगिक खंडों पर विचार करें और कथित बकाया का भुगतान न करने पर अनुबंध के पक्षों के बीच विवादों के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अतिरिक्त भुगतान या मुआवजे के कारण हो सकती है।

11.1 खंड 1.21.0 "अधिसूचित दावों" को परिभाषित करता है। इसका अर्थ है खंड के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित ठेकेदार का दावा। 6.6 .1.0 . खंड 6.6.1 के अनुसार, ठेकेदार को किसी भी अतिरिक्त भुगतान या मुआवजे [2022] 13 एस. सी. आर. के संबंध में अपने दावे की लिखित सूचना देनी होगी।

अनुबंध के संदर्भ में देय राशियों के अतिरिक्त या किसी चालू खाते के बिलों से मालिक द्वारा की गई या धमकी दी गई किसी कटौती की वैधता के संबंध में, किसी भी कार्य के लिए जिसके लिए ठेकेदार अतिरिक्त भुगतान का दावा करता है, आदेश या निर्देश जारी होने की तारीख से दस दिनों के भीतर प्रभारी अभियंता और साइट अभियंता को इस संबंध में अपने दावे की लिखित सूचना देकर। इस तरह की सूचना में ऐसे दावे की प्रकृति, जिस आधार पर यह आधारित है और दावा की गई राशि का पूरा विवरण दिया जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि ठेकेदार द्वारा किए गए किसी भी दावे के संबंध में मालिक किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा, जब तक कि ठेकेदार द्वारा इस तरह के दावे की सूचना प्रभारी अभियंता और स्थल अभियंता को नहीं दी गई होगी। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने किसी भी दावे के संबंध में सभी दावों और अपने सभी अधिकारों को माफ कर दिया है, जो प्रभारी अभियंता और स्थल अभियंता को लिखित रूप में और समय के भीतर (आदेश या निर्देश जारी होने की तारीख से दस दिन) अधिसूचित नहीं किया गया है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि खंड 6.6.3 और 6.6.1 के साथ पठित खंड 6.6.1 के प्रावधानों के भीतर अन्यथा वैध ऐसे सभी दावों पर अंतिम बिल जमा करते समय मालिक द्वारा विचार किया जाना चाहिए और ठेकेदार द्वारा किए गए या अधिसूचित किए गए किसी भी दावे को अस्वीकार करने या उससे निपटने में देरी करने के लिए मालिक (प्रभारी इंजीनियर या साइट इंजीनियर) की ओर से की गई किसी भी कार्रवाई को मालिक द्वारा ऐसे दावे की वैधता या उसके संबंध में उसके किसी भी अधिकार के मालिक द्वारा छूट की स्वीकृति माना जाएगा। 11.2 खंड 6.3.0 के अनुसार, खंड 6.1.0 के प्रावधान के अनुसार अधिसूचित ठेकेदार के किसी भी दावे और ठेकेदार द्वारा अंतिम बिल तैयार करने के समय देय रहने पर, ठेकेदार द्वारा तैयार किए गए अंतिम बिल में उससे संलग्न दावों के विवरण के रूप में अलग से शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें दावे की प्रकृति, आधार जिसके आधार पर यह आधारित है, और दावा की गई राशि का विवरण दिया जाना चाहिए और खंड 6.1.0 के तहत ठेकेदार द्वारा प्रभारी अभियंता और साइट इंजीनियर को उसके संबंध में भेजे गए नोटिस की एक प्रति द्वारा समर्थित किया जाएगा। इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि खंड 6.6.1.0 के प्रावधान के भीतर ठेकेदार द्वारा अधिसूचित दावे के साथ किसी भी भिन्नता को अधिसूचित दावे से अलग दावा माना जाएगा।

11.3 खंड 6.6.1 में आगे यह प्रावधान किया गया है कि मालिक (आई. ओ. सी. एल.) किसी भी तरह से किसी भी अधिसूचित दावे के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा, विशेष रूप से नहीं। खंड भारतीय तेल निगम लिमिटेड v के प्रावधानों के अनुसार अंतिम विधेयक में प्रतिबिंबित।

एनसीसी लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.]

6.6 .3.0 . इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि खंड 6.6.3.0 के प्रावधानों के अनुसार अंतिम विधेयक में विशेष रूप से प्रतिबिंबित और शामिल नहीं किए गए सभी अधिसूचित दावों को ठेकेदार द्वारा माफ कर दिया गया माना जाएगा और मालिक (आई. ओ. सी. एल.) का इसके संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा और ठेकेदार सभी मामलों में और खंड 6.6.3.0 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित दावे के अलावा किसी भी दावे को अंतिम विधेयक में उठाने या शामिल करने का हकदार नहीं होगा।

11.4 खंड 6.6.4 में प्रावधान है कि अंतिम विधेयक के बाद ठेकेदार द्वारा किसी भी कारण से कोई दावा नहीं किया जाएगा। यह आगे प्रदान करता है कि किसी भी इस तरह के दावे को माफ कर दिया गया माना जाएगा और अंतिम विधेयक में शामिल नहीं किए गए ऐसे सभी दावों के संबंध में, मालिक (आई. ओ. सी. एल.) को दोषमुक्त कर दिया जाता है और उसे खारिज कर दिया जाता है, भले ही उसे शामिल नहीं किया गया हो, ठेकेदार ने कानून या तथ्य की गलती के तहत काम किया होगा।

जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, इसे "अधिसूचित दावा" माना जाएगा और अधिसूचित दावे के अलावा किसी अन्य दावे के संबंध में, मालिक भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है और इस प्रकार उक्त के तहत दोषमुक्त और निर्वहन किया जाता है। खंड।

11.5 मालिक के दायित्व के निर्वहन के संबंध में अगला महत्वपूर्ण खंड 6.7.0 है। खंड 6.1.0 के अनुसार, अंतिम बिल के तहत ठेकेदार के अंतिम बकाया के संबंध में मालिक द्वारा ठेकेदार को भुगतान की गई किसी भी राशि की ठेकेदार द्वारा स्वीकृति इस शर्त पर की जाएगी कि उक्त भुगतान ठेकेदार को सभी कथित बकाया के पूर्ण और अंतिम निपटान में किया जा रहा है, खंड 6.3.0 के प्रावधानों के अनुसार अंतिम बिल में शामिल ठेकेदार के अधिसूचित दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे भुगतान की स्वीकृति के संबंध में ठेकेदार द्वारा लगाई गई किसी भी योग्य टिप्पणी, विरोध या शर्त के बावजूद ठेकेदार को दिए गए ऐसे सभी बकाया की पूर्ण और अंतिम संतुष्टि मानी जाएगी।

11.6 खंड 6.7.2 में यह प्रावधान है कि अंतिम विधेयक में शामिल ठेकेदार के अधिसूचित दावों के संबंध में मालिक (आईओसीएल) द्वारा ठेकेदार को भुगतान की गई किसी भी राशि की ठेकेदार द्वारा स्वीकृति। खंड 6.3 के प्रावधानों और उसके तहत संबद्ध प्रावधानों के अनुसार, इस शर्त पर कि ऐसा भुगतान ठेकेदार के सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटारे में किया जा रहा है, खंड 6.7.3 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, पूर्ण और अंतिम [2022] 13 एस. सी. आर. माना जाएगा।

ठेकेदार द्वारा इस तरह के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में की गई टिप्पणियों, विरोध या शर्त या कथित रूप से लगाई गई शर्त इस इरादे से कि ठेकेदार द्वारा किए गए किसी भी भुगतान की स्वीकृति पर, अनुबंध (मध्यस्थता खंड सहित) समाप्त हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा जहां तक ठेकेदार के दावों से संबंधित है और/या संबंधित है। 11.7 विचार किए जाने वाला अगला महत्वपूर्ण खंड खंड 9.0.0 होगा। उक्त खंड वैकल्पिक विवाद समाधान मशीनरी के लिए है।

खंड 9.1.0 के अनुसार, पहले के खंडों, अर्थात् खंड 6.6.1.0.6.2.0. और 9.0.2.0. के अधीन रहते हुए, खंड 6.3.0 के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार के अंतिम विधेयक में शामिल ठेकेदार के अधिसूचित दावे से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद और यदि ठेकेदार ने खंड 9.1.0. में निर्दिष्ट वैकल्पिक विवाद समाधान मशीनरी का विकल्प नहीं चुना है और किसी भी दावे से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद।

ठेकेदार के खिलाफ मालिक को एकल के मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

मध्यस्थ। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि ठेकेदार के अधिसूचित दावे को मध्यस्थता के लिए भेजा गया है तो मालिक ठेकेदार के खिलाफ अपने दावों को प्रति-दावे के रूप में पसंद कर सकता है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि ठेकेदार, हालांकि, किसी भी दावे का बचाव या प्रतिवाद के रूप में दावा करने का हकदार नहीं होगा, जिसमें कोई अधिसूचित दावा शामिल नहीं है।

खंड 6.6.3 के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार के अंतिम विधेयक में।

11.8 खंड 9.0.2 एक बहिष्करण खंड है जिसके द्वारा कुछ मामलों को विशेष रूप से प्रावधान के दायरे, दायरे और दायरे से बाहर रखा गया है।

मध्यस्थता समझौता। यह प्रावधान करता है कि खंड 9.0.2 में उल्लिखित/निर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में या उससे संबंधित या उससे संबंधित विवादों या मतभेदों को मध्यस्थता समझौते के दायरे, दायरे और दायरे से बाहर रखा गया है। यह आगे प्रावधान करता है कि ऐसा कोई भी

ऐसा मामला जिसे विशेष रूप से बाहर रखा गया है। (i) मध्यस्थता समझौते के दायरे या अस्तित्व या अन्यथा के संबंध में या उससे संबंधित; (ii) ठेकेदार द्वारा मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाने वाला दावा एक अधिसूचित दावा है या नहीं; (iii) खंड 6.6.3.0 के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार के अंतिम विधेयक में एक अधिसूचित दावा शामिल है या नहीं और (iv) ठेकेदार ने ठेकेदार के अंतिम विधेयक में शामिल किसी भी अधिसूचित दावे के संबंध में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का विकल्प चुना है या नहीं, यह मध्यस्थता कार्यवाही के साथ या संदर्भ के साथ आगे की कार्यवाही से पहले महाप्रबंधक द्वारा तय किया जाना चाहिए और मध्यस्थ या मध्यस्थ न्यायाधिकरण भारतीय तेल निगम सीमा

उन पर विचार करने या ऐसे मामलों के संबंध में कोई निर्णय देने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

इस प्रकार, खंड 9.0.0 के निष्पक्ष पठन पर, केवल अंतिम में शामिल ठेकेदार के अधिसूचित दावे से उत्पन्न होने वाला विवाद।

खंड 6.6.3.0 के प्रावधानों के अनुसार बी. आई. एल. को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, वह भी खंड 9.0.2.0 के अधीन रहते हुए और खंड 9.0.2.0 के भीतर आने वाले किसी भी विवाद/मामले पर पहले महाप्रबंधक द्वारा निर्णय लेना होगा, जिसमें यह भी शामिल है कि ठेकेदार द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा जाने वाला दावा एक अधिसूचित दावा है या नहीं। इसलिए, यदि दावा खंड 6.6.1.0 के अनुसार एक अधिसूचित दावा नहीं है और इसे अंतिम विधेयक में शामिल नहीं किया गया है, तो ऐसा दावा मध्यस्थता समझौते के दायरे से बाहर है। चाहे ठेकेदार द्वारा मध्यस्थता के लिए माँगा गया दावा एक अधिसूचित दावा है या नहीं या ऐसा कोई मामला/विवाद विशेष रूप से मध्यस्थता समझौते के दायरे, दायरे और दायरे से बाहर है, ऐसे मामले/विवाद का निर्णय मध्यस्थता की कार्यवाही से पहले महाप्रबंधक द्वारा किया जाना चाहिए या संदर्भ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार, जब तक महाप्रबंधक द्वारा यह निर्णय नहीं लिया जाता है कि ठेकेदार द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजे जाने का दावा एक अधिसूचित दावा है या नहीं, मध्यस्थ या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास ऐसे विवाद पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

जी. सी. सी. के उपरोक्त खंड इसमें पक्षों के बीच अनुबंध का हिस्सा हैं और दोनों पक्ष उपरोक्त दावों से बंधे हैं।

12. याचिकाकर्ता आई. ओ. सी. एल. की ओर से यह मामला है कि आई. ओ. सी. एल. ने प्रतिवादी के दावे का निपटारा किया था-एन. सी. सी. एल. ने एन. सी. सी. एल. के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए

समय का विस्तार प्रदान करना; कुल अनुबंध मूल्य के 4 प्रतिशत से अधिक का मूल्य समायोजन नहीं देना और इसके परिणामस्वरूप आई. ओ. सी. एल. ने 1493 दिनों की देरी को माफ कर दिया और बिना कोई मूल्य छूट लागू किए समय का विस्तार प्रदान किया। इसके अलावा 65 दिनों की देरी के लिए, आई. ओ. सी. एल. ने अनुबंध के कुल मूल्य के 4 प्रतिशत यानी आई. डी. 2,021 रुपये की मूल्य छूट लागू की और उसके बाद आई. ओ. सी. एल. ने एन. सी. सी. एल. के अंतिम बिल के बदले में आई. डी. 1,021 रुपये का भुगतान जारी किया। 4. 4 करोड़ रुपये की तुलना में। 14. 8 करोड़) और एन. सी. सी. एल. की बैंक गारंटी भी वापस कर दी जिसे प्रतिवादी एन. सी. सी. एल. द्वारा पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया। आई. ओ. सी. एल. का मामला है कि इसके बाद,

यह प्रतिवादी के लिए आगे कोई दावा करने के लिए खुला नहीं था। इसलिए, याचिकाकर्ता की ओर से यह मामला है कि दावे के लिए 'सहमति और संतुष्टि' होने के कारण, एक 'अपवादात्मक दावा' होने के कारण, प्रतिवादी के लिए मध्यस्थता समझौते को लागू करने और इसके लिए अनुरोध करने का अधिकार नहीं था।

मध्यस्थ की नियुक्ति। यह याचिकाकर्ता [2022] 13 एस. सी. आर. की ओर से भी मामला है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. ओ. सी. एल. ने महाप्रबंधक के विशिष्ट निर्णयों को ध्यान में रखते हुए,

" खंड 9.0.2 को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं दावों के लिए जिन्हें महाप्रबंधक द्वारा 'अधिसूचित दावे' नहीं माना जाता है, मामले को बहिष्कृत मामलों से संबंधित खंड को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थ को नहीं भेजा जा सकता है।

दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से यह मामला है कि रुपये 4,53,04,021/- की राशि की स्वीकृति दबाव में थी और

जबरदस्ती। प्रत्यर्थी की ओर से यह भी मामला है कि 02.11.2016 दिनांकित पूर्व प्रस्ताव एक सशर्त था और एक प्रस्ताव की प्रकृति में था और बाद में जब प्रस्ताव को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी, तो प्रत्यर्थी ने बिना किसी देरी के सूचित किया कि ईओटी के लिए अपने आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति देने का निर्णय अस्वीकार्य है क्योंकि यह प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए सशर्त प्रस्ताव के अनुसार नहीं है।

12.1 अब, जहाँ तक अधिसूचित दावों पर महाप्रबंधक के निर्णय का संबंध है, यह प्रतिवादी की ओर से मामला है कि अधिसूचित दावों पर महाप्रबंधक का निर्णय भी हमेशा मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय के अधीन होगा। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला और संक्षेप में कहाः

" 81. ऊपर की चर्चा को ध्यान में रखते हुए

मेरे निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः

I) जहां प्रतिस्पर्धा है या महाप्रबंधक द्वारा दिया गया निर्णय तर्क के लिए गुंजाइश छोड़ता है
क्या ठेकेदार द्वारा दायर किए गए दावों को अधिसूचित दावों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, यह मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना सबसे अच्छा है। दूसरे शब्दों में, उस स्थिति को छोड़कर जहां कोई संदेह नहीं है कि

खंड 6.6.1.068 के साथ 6.6.3.069 के तहत इंजीनियर और साइट इंजीनियर के पास दावे दर्ज नहीं किए गए थे, मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा समाधान के लिए छोड़ना होगा।

II) सहमति और संतुष्टि के संबंध में पहलू

दावा या जहां कोई विवाद है, उसे भी मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ना होगा। इस संबंध में कानून की स्थिति संविधान में लाए गए संशोधन से पहले और बाद दोनों में समान है।

1996 23.10.2015 के बाद कार्य करें।
III) 1996 के अधिनियम की धारा 11 में उप-धारा (6ए) को शामिल करने के बाद न्यायालय द्वारा धारा 11 में जांच का दायरा।

याचिका, (एक बार जब यह संतुष्ट हो जाता है कि मामले में इसकी अधिकारिता है) यह पता लगाने तक सीमित है कि क्या एक बाध्यकारी भारतीय तेल निगम लिमिटेड v.

मध्यस्थता समझौता इससे पहले के पक्षों के लिए मौजूद है जो है

हाथ में विवादों से संबंधित।

IV) मध्यस्थता समझौते के साथ विवाद को जोड़ने की गुंजाइश बहुत कम है। इस प्रकार, एक खुले और बंद मामले को छोड़कर जो इस तथ्य का संकेत देता है कि एक विशेष विवाद पक्षकारों के बीच प्राप्त मध्यस्थता समझौते के चार कोनों के भीतर नहीं आता है, मामले को एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा हल करना होगा। दूसरे शब्दों में, यदि इस मुद्दे पर विवाद है, तो न्यायालय मध्यस्थ न्यायाधिकरण को किसी न किसी तरह से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति देगा। यह दृष्टिकोण कोम्पेटेंज़ कोम्पेटेंज़ के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए होगा; एक ऐसा सिद्धांत जिसे 1996 के अधिनियम की धारा 16 के तहत वैधानिक मान्यता प्राप्त है।

विवादास्पद मामला। इसे खुला और बंद मामला नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, जब यह देखा जाता है और अभिनिर्धारित किया जाता है कि दावों के 'समझौते और संतुष्टि' के संबंध में इस तरह के पहलू पर न्यायालय द्वारा धारा 11 के आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में विचार किया जा सकता है, तो यह हमेशा उचित और उचित है कि बहस योग्य और विवादित तथ्यों के मामलों में, जो उचित रूप से तर्क योग्य मामले हैं, वही मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ दिया जाना चाहिए। विद्या द्रोलिया (ऊपर) के मामले में भी इस न्यायालय द्वारा इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हालांकि यह है विशेष रूप से देखा गया और अभिनिर्धारित किया गया कि 'दावों की सहमति और संतुष्टि के संबंध में पहलुओं पर न्यायालय द्वारा धारा 11 (6) आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में विचार किया जा सकता है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करने में कोई त्रुटि नहीं की है कि दावों की' सहमति और संतुष्टि 'के संबंध में या जहां कोई गंभीर विवाद है, उन्हें मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ना होगा। हालाँकि, साथ ही, हम उच्च न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने से सहमत नहीं हैं कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 में उप-धारा (6-ए) को शामिल करने के बाद, धारा 11 याचिका में न्यायालय द्वारा जांच का दायरा केवल यह पता लगाने तक सीमित है कि क्या एक बाध्यकारी मध्यस्थता [2022] 13 एस. सी. आर. है या नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समझौता इससे पहले के पक्षों के लिए मौजूद है, जो संबंधित है

हाथ में विवाद। हमारी राय है कि यद्यपि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अधिकारिता और गैर-मध्यस्थता के प्रश्न सहित विवादों का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र और अधिकार हो सकता है, लेकिन धारा 11 के आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में भी न्यायालय द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है यदि तथ्य बहुत स्पष्ट और स्पष्ट हैं और पक्षों के बीच बाध्यकारी समझौते के विशिष्ट खंडों को देखते हुए, क्या विवाद गैर-मध्यस्थ है और/या यह अपवाद खंड के भीतर आता है। धारा 11 आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में भी न्यायालय प्रथम दृष्टया विचार कर सकता है।

यहाँ तक कि दावों के 'समझौते और संतुष्टि' के संबंध में पहलू भी।

एस. एल. पी. (सी) No.13161/2019 से उत्पन्न सिविल अपील No.341/2022 का संबंध है, महाप्रबंधक ने निर्णय लिया है/घोषित किया है कि दावे मध्यस्थ नहीं हैं क्योंकि उनका निपटारा कर दिया गया था और मध्यस्थता समझौते को जी. सी. सी. के खंड 6.7.2 के तहत खारिज कर दिया गया है और अब नहीं। अस्तित्व में/अस्तित्व में है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, दावों का निपटारा किया गया था या नहीं, यह एक विवादास्पद और विवादास्पद प्रश्न है, जिसका निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अधिसूचित दावों से संबंधित मामलों को भी मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि तथ्य की स्थिति में 'समझौता और संतुष्टि' और 'अधिसूचित दावे' दोनों के पहलू आपस में जुड़े हुए हैं और आपस में जुड़े हुए हैं।

13.2 अब, जहाँ तक एसएलपी (सी) No.13816/2019 से उत्पन्न सिविल अपील No.342/2022 का संबंध है, महाप्रबंधक ने खंड 9.0.2 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा की थी कि प्रतिवादी का कोई भी दावा अधिसूचित दावा नहीं है। दिनांकित संचार से

22.06.2018 , ऐसा प्रतीत होता है कि महाप्रबंधक ने प्रत्यर्थी के सभी कथित अधिसूचित दावों पर विस्तृत रूप से विचार करने के बाद

यह पाया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा किए गए दावों में से कोई भी अधिसूचित दावा नहीं है। जी. सी. सी. के प्रासंगिक खंडों के संयुक्त पठन पर। खंड 9.0.1 और 9.0.2, केवल अधिसूचित दावों से उत्पन्न होने वाले विवाद, जो ठेकेदार के अंतिम विधेयक में शामिल है, को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है। हालांकि, खंड 9.0.2 के अनुसार, ठेकेदार द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजे जाने वाले दावे पर कोई विवाद या अंतर एक अधिसूचित दावा है या नहीं, यह बहिष्कृत मामलों के अंतर्गत आता है और मध्यस्थ या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास इसके संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र और/या अधिकार नहीं होगा। विवाद या अंतर चाहे भारतीय तेल निगम सीमित का दावा हो या नहीं।

एनसीसी लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.]

ठेकेदार द्वारा मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने की मांग एक अधिसूचित दावा है जो किसी भी संदर्भ या मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने का विषय नहीं होगा और न ही बना सकता है। इसलिए, खंड 9.0.1 और 9.0.2.0 के निष्पक्ष और संयुक्त पठन पर, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि (i) खंड 6.6.3.0 के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार के अंतिम विधेयक में शामिल ठेकेदार के केवल अधिसूचित दावे - मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट; (ii) ठेकेदार द्वारा मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाने वाला दावा अधिसूचित दावा है या नहीं, मध्यस्थ या मध्यस्थ न्यायाधिकरण का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा; (iii) कोई दावा अधिसूचित दावा है या नहीं, यह महाप्रबंधक द्वारा तय किया जाना चाहिए और वह भी, मध्यस्थता की कार्यवाही के साथ या संदर्भ के साथ आगे बढ़ने से पहले। इसलिए, एक बार जब महाप्रबंधक, अभिलेख पर सामग्री के आधार पर एक सचेत निर्णय लेता है कि मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाने वाला एक विशेष दावा अधिसूचित नहीं है।

असंदिग्ध। 13.3 जैसा कि ऊपर देखा गया है, अनुबंध के पक्षकार (1) अनुबंध की उचित विधि, (2) मध्यस्थता समझौते की उचित विधि और (3) मध्यस्थता के संचालन की उचित विधि की प्रयोज्यता पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं। अनुबंध के पक्ष मध्यस्थता के दायरे से बाहर रखे गए मामलों के लिए भी सहमत हो सकते हैं। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के एक समूह में देखा गया है, जब तक कि समझौते के प्रभाव का परिणाम गैरकानूनी कार्य के निष्पादन में न हो।

अधिनियम, एक समझौता, जो अन्यथा कानूनी है, को अमान्य नहीं माना जा सकता है

और पक्षों के बीच बाध्यकारी है। इस स्तर पर, श्रीकांत ट्रांसपोर्ट (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को संदर्भित करने की आवश्यकता है। इस न्यायालय के समक्ष मामले में, अनुबंध में मध्यस्थता के दायरे से कुछ मामलों को हटाने का प्रावधान किया गया था। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को इस पर निर्णय लेने का अधिकार और शक्ति दी गई थी। खंडों में से एक में प्रावधान किया गया है कि वरिष्ठ अधिकारी का निर्णय, निर्णायक होने के नाते, अंतिम और पक्षों के बीच बाध्यकारी होगा। इस न्यायालय ने इसे 'अपवादात्मक मामलों' के रूप में माना। उपरोक्त निर्णय में, इसे पैराग्राफ 3 में निम्नानुसार देखा और अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 3. " स्पष्ट रूप से, जैसा कि पक्षकारों ने सहमति व्यक्त की है, अपवादात्मक मामलों को आगे किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समझौता स्वयं एक नामित न्यायनिर्णायक प्रदान करता है- स्पष्ट रूप से पार्टियों द्वारा अनुबंध की शर्तों की स्पष्ट स्वीकृति के कारण इसकी सहमति मानी जाती है और यह वह जगह है जहाँ [2022] 13 एस. सी. आर.

न्यायालयों ने पाया है कि उनसे उत्पन्न होने वाले विवादों के संबंध में मध्यस्थता के संदर्भ के लिए एक आवेदन पर विचार करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में कमी है और यह सुसंगत विचार रहा है कि अपवादात्मक मामलों के दायरे में उत्पन्न होने वाले दावों की स्थिति में, किसी भी मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र की धारणा का सवाल है।

अदालत के हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना उत्पन्न नहीं होगा; पक्षों ने स्वयं ऐसा करने का फैसला किया है

इन मामलों के संबंध में एक विशेष अधिकारी द्वारा निर्णय दिया गयाः हालाँकि ये अपवाद क्या हैं जो तथ्य के प्रश्न हैं और आमतौर पर अनुबंध दस्तावेजों में उल्लिखित हैं और समझौते का हिस्सा हैं जैसे कि इन विशेष मामलों के निर्णय के मामले में कोई अस्पष्टता नहीं है और

अपवादात्मक मामलों के रूप में समझौता।

13.4 मामले के उस दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय ने खंड 9.0.1 और 9.0.2 को गलत तरीके से पढ़ा और गलत व्याख्या की है और इसमें गंभीर त्रुटि की है।

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि जहां विवाद है या महाप्रबंधक द्वारा दिया गया निर्णय इस तर्क के लिए गुंजाइश छोड़ता है कि क्या ठेकेदार द्वारा कथित दावों को अधिसूचित दावे के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, सबसे अच्छा है

मध्यस्थ न्यायाधिकरण को छोड़ दिया गया। यह विवाद कि दावा एक अधिसूचित दावा है या नहीं, विशेष रूप से मध्यस्थता समझौते के दायरे, दायरे और दायरे से बाहर है। इसलिए, एक बार जब ऐसा विवाद 'अपवादित मामलों' के अंतर्गत आता है, तो अधिसूचित दावों के मुद्दे पर महाप्रबंधक द्वारा कोई भी निर्णय मध्यस्थता कार्यवाही का विषय नहीं हो सकता है। 13.5 इसलिए, उच्च न्यायालय ने विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने और उन दावों के संबंध में विवाद पर निर्णय लेने के लिए एक एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने में गलती की है जिन्हें अधिसूचित नहीं किया गया है।

महाप्रबंधक द्वारा दावे। इसलिए, एसएलपी (सी) No.13408/2019 के साथ-साथ सिविल अपील से उत्पन्न सिविल अपील No.342/2022 एसएलपी (सी) संख्या से उत्पन्न होने वाले Nos.343/2022 और 345/2022। 13813/2019 और 13816/2019 क्रमशः अनुमति और आक्षेप के योग्य हैं

संबंधित मध्यस्थता याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश रद्द किए जाने और खारिज किए जाने के योग्य हैं।

13.6 जहाँ तक मध्यस्थता याचिका No.407/2018 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से उत्पन्न SLP (C) No.13815/2019 से उत्पन्न सिविल अपील No.344/2022 का संबंध है, महाप्रबंधक ने स्वयं घोषणा की है कि प्रत्यर्थी का केवल एक दावा एक अधिसूचित दावा था/है, उक्त अपील को एन. डी. आई. ए. एन. ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.

एनसीसी लिमिटेड

[एम. आर. शाह, जे.]

यह देखते हुए कि दावा जो जनरल द्वारा घोषित किया गया है

एक अधिसूचित दावे के रूप में केवल मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए।

उसने सीखा कि मध्यस्थ के पास निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा

अन्य दावों के संबंध में जिनके रूप में घोषित नहीं किया जाता है

महाप्रबंधक द्वारा दावे।

14. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित

पारित किया जाता है।

विवादित से उत्पन्न सिविल अपील No.341/2022

(1)

मध्यस्थता में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश

याचिका No.115/2018 एतद्द्वारा खारिज की जाती है। हालाँकि, यह देखा गया है कि विद्वान मध्यस्थ पहले निर्णय लेगा

मध्यस्थता की धारा 16 के तहत एक आवेदन का निर्णय करके ऐसे दावों के संबंध में विवादों के 'समझौते और संतुष्टि' और मध्यस्थता के संबंध में पहलू अधिनियम, जिसके लंबित होने की सूचना है। विद्वान मध्यस्थ पहले मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अधिकारिता और दावों की मध्यस्थता का निर्णय पहली बैठक की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर करेगा जो आज से एक महीने की अवधि के भीतर होगी। सभी विवाद और/या बचाव जो संबंधित पक्षों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, उन्हें कानून के अनुसार और अपने स्वयं के गुणों और विचार पर विद्वान मध्यस्थ द्वारा विचार करने के लिए खुला रखा जाता है।

अनुबंध के प्रासंगिक खंड और अभिलेख पर सामग्री।

(2)

विवादित से उत्पन्न सिविल अपील No.342/2022

मध्यस्थता याचिका No.356/2018 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की एतद्द्वारा अनुमति है। विवादित फैसला

और मध्यस्थता याचिका No.356/2018 में पक्षकारों के बीच विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने और मध्यस्थ की नियुक्ति में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

और अलग रख दें।

(3) इसी तरह, सिविल अपील No.343/2022

उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता याचिका संख्या No.406/2018 में पारित विवादित निर्णय और आदेश से उत्पन्न मध्यस्थता याचिका संख्या 116/2018 और सिविल अपील No.345/2022 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश की अनुमति है और इसके परिणामस्वरूप, विवादित निर्णय और [2022] 13 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

एक तरफ। जहाँ तक सिविल अपील No.344/2022 से उत्पन्न होती है

मध्यस्थता याचिका No.407/2018 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश का संबंध है, इसकी आंशिक रूप से अनुमति है। मध्यस्थता याचिका No.407/2018 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को एतद्वारा इस हद तक संशोधित किया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी का केवल एक दावा जिसे महाप्रबंधक द्वारा अधिसूचित दावा घोषित किया गया है, उसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना होगा और विद्वान मध्यस्थ केवल उस दावे का निर्णय करेगा जिसे महाप्रबंधक द्वारा एक मध्यस्थ के रूप में घोषित किया गया है। अधिसूचित दावा और विद्वत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास किसी भी अन्य दावे पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जिन्हें अधिसूचित दावे के रूप में घोषित नहीं किया गया है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वहाँ होगा

लागत के बारे में कोई आदेश न दें।

अपीलों का निपटारा किया गया।

रूपांशी विरंग, एलसीआरए)